वेद माता गायत्री बैजंत्री शक्ति पीठ ट्रस्ट
एवं
संस्थापक

चन्द्रशेखर मिश्र

लेखन सहयोग - रामनन्दन मिश्र

Scanned by CamScanner

संस्थापक पत्नी बैजंत्री देवी के साथ 1978

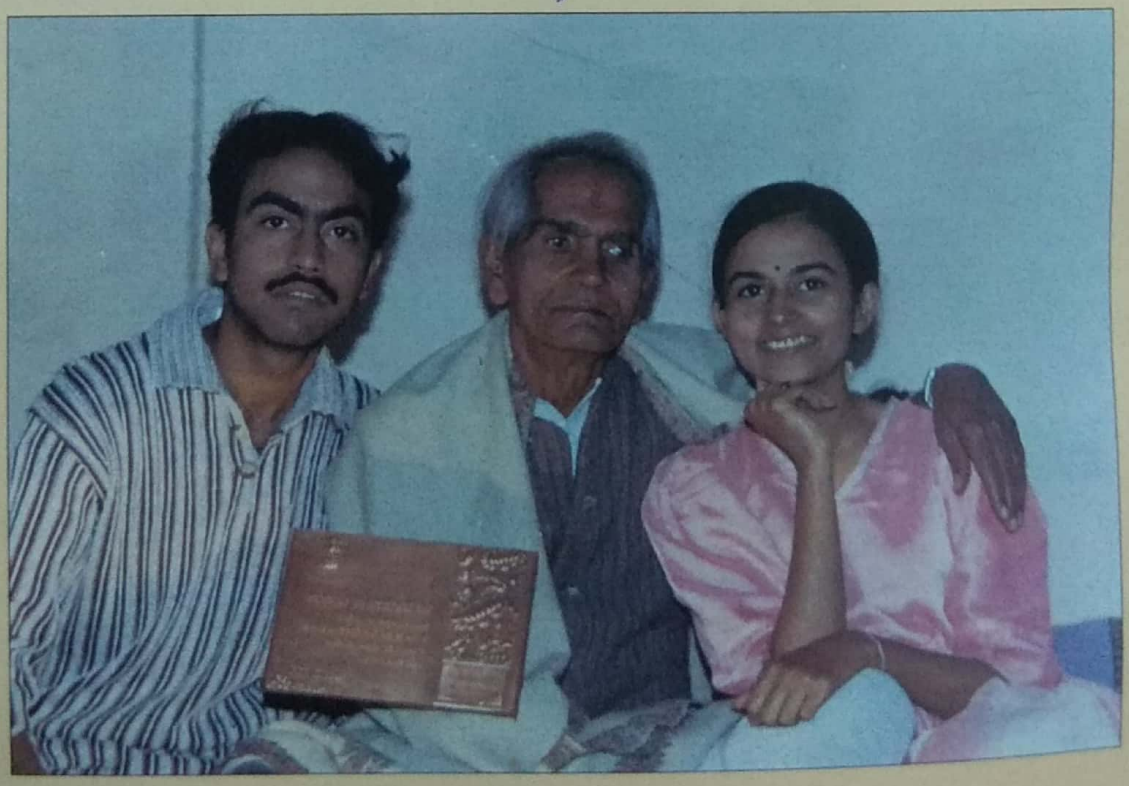

संस्थापक (स्वतंत्रतासेनानी) ताम्रपत्र के
साथ, बगल में पौत्र मृदुल एवं पौत्री नमिता 1992

Scanned by CamScanner

वेद माता गायत्री बैजंत्री शक्ति पीठ ट्रस्ट

एवं

संस्थापक

चन्द्रशेखर मिश्र

लेखन सहयोग - रामनन्दन मिश्र

मुद्रक : मोर्डन प्रेस, चिरकुण्डा (धनबाद)

Scanned by CamScanner

विमान हादसे में हुई बोस की मौत

हिन्दुस्तान, धनबाद, 07/02/2016 P-15

दुभाषिये की बात

लंदन | एजेंसिया

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों को बयां करने के लिए शुरू की साइट ने एक जापानी दुभाषिये के हवाला से बताया है कि उनकी मौत 1945 में विमान हादसे के बाद ताइपे के एक अस्पताल में हुई थी।

www.bosefiles.info के मुताबिक बोस के साथ 1943 से 1945 के बीच दुभाषिये रहे काजुनोरी कुनीजुका अभी तक जीवित हैं। उन्होंने 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनकी मौत होने के बारे में अपनी डायरी में बोस के आखिरी दिनों का ग्राफिक ब्योरा लिखा है।

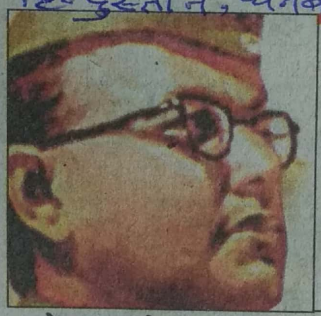

दावा

- पत्रकार ओकाबे ने दुभाषिये काजुनोरी कुनीजुका से मुलाकात की, सबूत में उनकी डायरी की प्रति सौंपी
- 1943 से 1945 के बीच कुनीजुका नेताजी के साथ थे, बताया हादसे के बाद अस्पताल में हुई उनकी मौत

वेबसाइट को यह जानकारी सनकेई शिमभुन अखबार के लंदन संवाददाता नोबुरू ओकाबे मिली है। उन्होंने डायरी की प्रति भी वेबसाइट को सौंपी है। बोस के पोते और वेबसाइट बनाने वाले आशीष रे ने बताया, डायरी जापानी भाषा में है। हम इसे अनुवाद कराएंगे और आने वाले समय में इसके प्रासंगिक अंशों को जारी करेंगे। हम सच देश और परिवार के सामने लाना चाहते हैं। ओकाबे के मुताबिक कानीजुका 98 साल के हैं और जापान के कोबे में एक वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। ओकाबे उनसे मिले और यह सत्यापित किया कि विमान हादसे के बाद ताइपे में जापानी सैन्य अस्पताल में बोस की मौत हुई थी। डायरी में उल्लिखित बातों के मुताबिक ताइपे से विमान के उड़ान भरने के शीघ्र बाद विमान हादसाग्रस्त हो गया।

Scanned by CamScanner

प्रस्तावना-

होश संभालने के बाद मैंने देखा कि पिता जी घर में कम ही रहते थे । कम से कम दिन में तो प्रायः बाहर रहना होता ! वर्षों मुखिया फिर प्रखण्ड प्रमुख रहने के चलते इनकी व्यस्तता रहती थी । आदतन सामाजिक कार्य के प्रति अभिरूची इनकी खाशियत रही ।

अपने परिवार की कहानी, बचपन, पढ़ाई लिखाई, स्वतंत्रता संग्राम की धुन कैसे सवार हुई, क्या उस समय दिन चर्या हुआ करता था इत्यादि कहानी सुना करता था । कालान्तर मैंने सोचा क्यों नहीं संक्षिप्त ही सही इनकी कहानी लेखनी बने । डायरी लिखने की इनकी आदत रही है । 1991 से गायत्री परिवार से जुड़ जाने के बाद, दिशा बदली । आगे घटनाओं और पुर्व के संस्म रण को लिपीबद्ध करना जरूरी समझा । जिसमें मुख्य रूप से ट्रस्ट की कल्पना, उद्देश्य और अन्य बातें जो निबंधित कराई गई का उल्लेख भी संकलित है । मैंने इन्हें अपनी कहानी लिखने को प्रेरित किया । इनके बताई घटनाओं, स्वलिखित डायरी से उद्धृत कहानी "संक्षिप्त परिचय" में समाहित है । यह बिलकुल संभव है कि कई महत्वपूर्ण घटनाएं छूट गई हों । कईयों की तिथियों में भूल हुई हो । ऐसी अनजानी भूलों के लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ।

रामनन्दन मिश्र

पटवा-बाँका :

संप्रति : मुख्य महाप्रबंधक

ई.सी.एल. (कोल इण्डिया)

मुगमा, धनबाद

तिथि : 21.03.2006

Scanned by CamScanner

अनुक्रमणिका

१. प्रस्तावना

२. परिचय :- वंशज,
बचपन,
स्वतंत्रता संग्राम में,
स्वतंत्रता के बाद ,
पारिवारिक जवाब देही ,
राजनैतिक कार्य,
गायत्री संकल्प -
गायत्री परिसर एवं ट्रस्ट
वंशबृक्ष।

३. ट्रस्ट सहयोगी :-

४. ट्रस्ट निबंधन दस्तावेज (हिन्दी अनुवाद)

५. ट्रस्ट निबंधन दस्तावेज (अंग्रेजी में मूल)

Scanned by CamScanner

संक्षिप्त परिचय :

बचपन :

मेरा जन्म बिहार राज्य के भागलपुर जिले के घोरैया थानान्तर्गत पटवा ग्राम में 21 मार्च 1921 को हुआ । मेरे पिता सुधाकर मिश्र एवं माँ पंचमी देवी थी। पटवा गॉव मेरा पुश्तैनी घर नहीं था । मेरा पुश्तैनी निवास दरभंगा जिले के कमतौल थानान्तर्गत कछुआ चकौती गाँव के प्रसादी टोल में था । नियति को ऐसा ही मंजूर था कि पिताजी की शादी पटवा गाँव के एक सम्पन्न घर में पंडित प्यारे लाल झा की सुपुत्री पंचमी देवी से सन् 1919 में हुई । शादी के बाद मेरे नाना ने ६ बीघा जमीन और अपने घर के बगल में बसने के लिये जमीन के साथ मकान दिया । जब मेरा जन्म हुआ मेरे नाम से ये सारे जमीन एवं मकान लिख दिया ।

मेरे पितामह राधाकान्त मिश्र छः भाई थे । पितामह राधाकान्त मिश्र के समय से कुछ बुरे दिन आये । एक सुखी सम्पन्न परिवार जिसे सतरह सौ बीघे जमीन की खेती थी बर्बादी के कगार पर चला गया । भाईयों में अविश्वास और झगड़ा शुरु हो गया । बातें कोर्ट कचहरी तक चली गई । महामाया माँ दुर्गा कुल देवी एवं भगवान शंकर कुल देवता की जहाँ रोज पूजा अर्चना हुआ करती थी वहीं नित्य उनका अनादर होने लगा । आपसी मनमुटाव, कचहरी का चक्कर, देवी - देवता का अनादर - परिणाम भयावह निकला । सारी सम्पत्ति चली गई । वह पीढ़ी एवं आने वाले इसका शिकार हुए ।

पिताजी जब करीब पन्द्रह वर्ष के थे तंग होकर घर से निकल गये । छोटी-मोटी नौकरी की तलाश में जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, आसामआदि जगहों की खाक छाना । कुछ दिन इस तरह बिताने के बाद भागलपुर जिले के खड़हरा गाँव आ गये । यहाँ उनकी फुफेरी बहन रहती थी जो वहाँ के प्रसिद्ध सुखी सम्पन्न जमिन्दार पं० बलदेव झा से ब्याही थी । यह घटना लगभग 1917की होगी । खड़हरा में पं० बलदेव झा के सानिध्य में ही पिताजी रहे । उनकी काफी खेती-बारी थी जिसके देखभाल में ये रहा करते थे । वहीं से इनका विवाह पटवा गाँव के पं० प्यारे लाल झा की पुत्री पंचमी देवी से हुई । मेरे नाना ने जो मकान एवं जमीन पटवा में दिया था कालान्तर में ये वहीं बस गये । अपने पिताजी अर्थात मेरे दादाजी को भी दरभंगा कछुआ चकौती से पटवा ले आये । मेरी दादी का देहान्त कछुआ

Scanned by CamScanner

चकौती में ही हो चुका था।

मेरे जन्म के लगभग तीन वर्ष बाद गाँव में हैजा फैला जिसने विकराल रूप ले लिया। उसका शिकार मेरी माँ भी हो गई। करीब तीन वर्ष की उम्र में मैंने माँ को खो दिया। मेरी छोटी बहन विजयमाला जो उस समय मात्र एक वर्ष की होगी। हम दोनों भाई-बहन को पिताजी, नाना-नानी, मामा-मामी ने पाला। मेरे मामा पं० बाबु लाल झा थे। नाना का जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पास में चान्दाडीह स्कूल में हुई।

पाँचवीं कक्षा के बाद मैं शंकरपुर मुंगेर चला गया जहाँ मेरे फुफेरे भाई पं० अनन्त लाल झा एवं पं० अनुप लाल झा रहते थे। वहीं रहकर मैंने आगे की पढ़ाई श्रीमदपुर मिडिल स्कूल में किया। एक दिन शंकरपुर के पास सुनसान जगह में एक आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिये चढ़ा। गर्मी का दिन था, कुसंयोग से डाली टुट गई और मैं गिर पड़ा। कुछ समय तक बेहोश पड़ा रहा फिर लोगों ने पहचाना और अस्पताल ले गये। चोट गंभीर था। मुझे कुछ दिनों के लिये पटवा भेज दिया गया।

स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश :

मुंगेर में रहते हुये मैं आजादी की बातें सुना करता। गाँधीजी, पं० नेहरु, नेताजी, श्री कृष्ण सिंह के नाम बहुत सुनते और जब भी मौका लगता भाषण भी सुनता। मेरी रूचि धीरे-धीरे आजादी की लड़ाई की ओर बढ़ने लगी थी। सन् 1939 की घटना है, मैं मुंगेर में ही था। रामगढ़ (राँची के पास) नेताजी द्वारा आहूत सम्मेलन की चर्चा जोरों पर थी। वहाँ से बसें रामगढ़ जा रही थीं। मैंने भी रामगढ़ की यात्रा वहाँ से की। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जो 1938 में राष्ट्रीय काँग्रेस के अध्यक्ष बने 1939 के शुरु में ही त्याग पत्र दे दिया था। गाँधीजी के विचारों से उनका विचार भिन्न था। यद्यपि सभी आजादी के दीवानों का लक्ष्य एक ही था किन्तु गाँधी जी के विचारों से 1939 में उन्हें अलग होना ही ठीक लगा। इसका मुख्य कारण था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रस्ताव को "कि छः माह के अन्दर चाहे जैसे भी हो आजादी हासिल करनी है" स्वीकृति नहीं मिली। गाँधी जी ने भारत को एक उपनिवेश का प्रस्ताव पारित करवाया। जबकी नेताजी पूर्ण आजादी का प्रस्ताव

Scanned by CamScanner

पारित करवाना चाहते थे। काँग्रेस में ही नेता जी ने अलग फारवर्ड ब्लॉक की नीव रखी और पहला सम्मेलन रामगढ़ - राँची में रखा जो करीब दस दिनों तक चला था।

नेता जी का पड़ाव सम्मेलन स्थल के पास था। जिस कैम्प में वे रहते थे, मैं भी वहीं रहता था। उनके भाषणों और उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सम्मेलन के पूर्ण अवधि तक उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा में लगा रहता। जिस दिन रामगढ़ सम्मेलन समाप्त हुआ मैं भी उनके साथ हो लिया। उन्होंने मुझे अभी पढ़ाई लिखाई की नसीहत दी। फिर वापस घर जाने को कहा लेकिन उनकी बात नहीं मानी। मैंने उनसे कहा "आपने इस सम्मेलन में भाषण दिया है कि आपने अपनी डिग्रियाँ जला दी। आई. सी. एस. की नौकरी को लात मारा, फिर मुझे क्यों डिग्री लेने बोल रहे हैं।

वे निरुत्तर हो गये। मैं उनके साथ क्लकत्ता चला गया। उन्होंने मुझे समझाया कम से कम मैट्रिक तक मैं पढ़ लूँ। पढ़ते-पढ़ते छात्र संगठन बनाने को कहा और जल्द ही अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिये तैयार होने को कहा। मैं करीब एक माह उनके साथ कलकत्ता में रहा। जब मैंने उनसे साफ कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसीनहीं है कि मैं भागलपुर या मुंगेर शहर में रहकर और आगे पढ़ सकूँ। नेताजी ने श्री कृष्ण सिंह (श्री बाबू) के नाम से मेरे बारे में पत्र लिखा। आगे कहा कि मुझसे उनकी मुलाकात अब शायद नहीं हो पायेगी। यह 1940 के शुरु की बात है। उन्होंने अपने निकटस्थ चटर्जी बाबु से मेरा परिचय करवाया जो स्ट्राँड रोड पर रहते थे। खास कर कहा कि आने वाले लड़ाई के समय जिस चीज की जरुरत हो इसे मदद किया जाय।

पत्र लेकर मैं श्री बाबू से मुंगेर में मिला। श्रीबाबू मुंगेर के प्रसिद्ध वकील थे, पटना हाईकोर्ट भी जाते थे और राजनीति में भी उतनी ही रूचि थी। मुंगेर में तो उनकी तुती बोलती थी। उन्होंने वहाँ के एक जमिन्दार दिलिप बाबु से मेरे मुंगेर प्रवास, पढ़ाई-लिखाई आदि के खर्च वहन करने को कहा। मैं मुंगेर टाउन हाई स्कूल में पढ़ने लगा। मेरा समय पढ़ाई में कम छात्र संगठन में अधिक बितता था। समय निकालकर श्रीबाबू से भी मिलता था। नेताजी से फिर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। 1940 में ही उन्हें कारावास में डाल दिया गया था। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दिए, फिर उन्हें जेल से छुट्टी तो हुई लेकिन कड़े पहरे के बीच

Scanned by CamScanner

अपने ही घर में रखा गया। जहाँ से शीघ्र ही अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी सहायता की खोज में वेष बदलकर निकल गये।

अगस्त क्रांति :

सन् 1942 में एक नई क्रांति का लहर था। हर जगह एक ही नारा था। करो या मरो। इसी समय तोड़-फोड़ भारी पैमाने पर शुरु हुआ। उद्देश्य था अंग्रेजों की संचार व्यवस्था, प्रशासन और उसे भी अधिक से अधिक क्षति पहुँचाना। इस क्रम में मुझे याद है जब छात्र संगठन का नेतृत्व करते हुये हमलोंगो ने मुंगेर के पूरब सराय स्टेशन को जला दिया था। जमालपुर में जबरदस्त नाकेबन्दी और तोड़-फोड़ किया गया था।

हमलोगों के बीच हेमजापुर (सूर्यगढ़ा) के गोविन्द सिंह थे जो अदम्य साहस और अख्खड़पन के लिये मशहूर थे। उनका निशाना गोरे अफसर और खासकर पुलिस रहा करता था। सूर्यगढ़ा के पास अंजाम देने के कारण वे मोस्ट वाण्टेड थे।

एक दिन हमलोग हेमजापुर से उत्तर-पूरब मक्के के खेत में बैठकर भावी योजना बना रहे थे कि तीनों ओर से पुलिस ने घेरा बन्दी कर दी। दोनों ओर से घंटों गोलियाँ चली। उत्तर गंगा उफान पर थी। गोलियों की कमी हो गई और अब भागना ही एक रास्ता था। मक्के के पौधौ को बाँधकर ढाल बनाया था। जिसे लेकर गंगा में कूद गया। गोविन्द सिंह दूर्भाग्य वस पकड़े गये। मक्के के पौधौ का गांठपकड़े तैरते हुये मैं भागलपुर आया था।

उन दिनों श्री भागवत झा "आजाद" भागलपुर में मोर्चा सम्भालने वालों में प्रमुख थे। टी. एन. बी. कालेज में पढ़ते हुए ही उन्होंने संगठन का काम -काज सम्भाल लिया था। मैं मुंगेर से साथियों के साथ उनसे मिला करता था। आजाद जी को मैं अग्रज स्वरुप मानता था,और वो भी हमें काफी प्यार देते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि गिरिडीह में संगठन कुछ कमजोर महसूस हो रहा है। पुलिसिया जुर्म भी बहुत है। मुंगेर- भागलपुर से एक जत्था वहाँ जाना चाहिये। हमलोग पाँच क्रांतिकारी गिरिडीह पहुँचे। संगठन को काफी बल मिला हम लोगों के वहाँ जाने से। एक शाम की घटना है जब हमलोग शहर से बाहर बैठकर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे - पुलिस ने आक्रमण कर दिया, दोनों ही ओर से गोलियाँ चली। मेरे दाहिने जाँघ में गोली लगी और मैं भाग नहीं सका।

Scanned by CamScanner

वहीं गिरकर बेहोश हो गया।

जब मुझे होश आया -मुझसे पूछताछ शुरू हुई बताया गया कि मैं राँची के अस्पताल में भर्ती हूँ। पुलिस का पहरा था। जब मैं स्वस्थ हुआ मुझे मुंगेर पुलिस को सौंप दिया गया। मैं मुंगेर में कैद रहा और छः माह उपरान्त ट्रायल समाप्त हुआ। मुझे ढेढ़ साल का सश्रम कारावास की सजा हुई और भागलपुर सेन्ट्रल जेल ट्रान्सफर कर दिया गया।

सेन्ट्रल जेल में उस समय श्री भागवत झा आजाद, श्री राघवेन्द्र सिंह आदि भी थे। हमलोगों के लिये दुखद समय जेल में तब आया जब वहीं हमारे क्रान्तिकारी साथी श्री गोविन्द सिंह को फांसी दे दी गई। 1942 के आंदोलन में बहुत से क्रान्तिकारी जेल जा चुके थे। भागलपुर सेन्ट्रल जेल में तो हुजुम था। फाँसी के बाद विद्रोह की आशंका को देखते हुये बहुतों को जेल स्थांतरित किया। मुझे छः महीने के लिये हजारीबाग जेल भेजा गया।

रिहा होने के बाद भागलपुर फिर मुंगेर आया। सामने बड़ी समस्या थी- कई क्रांन्तिकारी अभी भी जेल में थे, कईयों को इनकाउन्टर में मार दिया गया था और कईयों को फांसी दी गई थी। आंदोलन के आग को बुझने नहीं देना था साथ ही ऐसे साथियों के परिवारों को आर्थिक सहायता करना था। किसी के बहन की शादी हो या अन्य आवश्यक जिम्मेदारी हो। पुलिस की कड़ी नजर रहती थी जिसके चलते हमलोग स्थान परिवर्तन करते हुये अपनी योजना बनाते।

शादी

मैं घर बहुत कम जा पाता। मेरी बहन विजयमाला की शादी हो चुकी थी।

पिताजी अकेले रह गये थे। उन्होंने काफी जिद किया कि मैं शादी कर लूँ। उनकी यह भी इच्छा थी कि मैं अब घर पर रहूँ। मैं तैयार हुआ शादी के लिये बशर्ते मुझ पर आगे कोई बन्दिश न लगे। 1944 में मेरी शादी पं० अनुप लाल झा लखपूरा-तिनफेड़िया के सुपुत्री बैजंत्री देवी से सम्पन्न हुई। मैं खुशकिस्मत था कि शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे विचारों से सहमत थी और मेरे उपर कोई बन्दिश नहीं लगी।

मैं अपनी टोली में चला गया। मुंगेर में अधिकांश छात्र जीवन बिताने

Scanned by CamScanner

के चलते वही मेरा कर्म क्षेत्र भी हो गया था। स्थान परिर्वतन के क्रम में हमलोग जमालपुर पहाड़ी, खड़गपुर, गंगटा, सिमुलतल्ला आदि जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में रहा करते थे। गोली बारुद और पैसे की परेशानी होती, लेकीन काम नहीं रुकता। असलहों की आपूर्ति के लिये जमालपुर एवं मुंगेर उपयुक्त था। बम-हैन्ड ग्रेनेड के लिये नेताजी द्वारा बताये क्रान्तिकारियों से मैं कलकत्ता में मिलता। चटर्जी बाबू का घर तो स्ट्रान्ड रोड पर था, लेकिन उनसे कभी घर पर भेंट नहीं होती। मेरे पूर्व के कलकत्ता प्रवास के समय उनकी माताजी से मेरा परिचय हुआ था। मैं उनसे मिलता। वो खुद मुझसे ऐसे स्थान पर भेंट कराती या किसी अति विश्वसनीय व्यक्ति को साथ लगा देती। वहाँ से बोरे में छिपाकर रेलगाड़ी से बम लाता और कभी झाझा कभी सिमुलतल्ला में उतरता। एकबार चटर्जी बाबू ने कहा कि यह रिस्की है इसलिये बम बनाना खुद सीखो। उन्होंने अपने दो साथियों को मेरे साथ कर दिया। वहाँ से बम बनाने के मशाले अलग अलग लेकर झाझा आये। एक सप्ताह हमलोगों के बीच रहकर हमें ट्रेनिंग दी और वे कलकत्ता लौट गये।

हम क्रान्तिकारियों का लक्ष्य टॉमी (अमेरिकन पुलिस) एवं गोरे पुलिस हुआ करते थे। कभी-कभी अपने लोगों से भी जूझना पड़ता था। ऐसे श्रेणी में जो गोरों के मुखबीर हुआ करते थे, साथ ही हमें मदद नहीं करते। ऐसों को जान तो नहीं मारते लेकिन सबक सिखाना जरूरी हुआ करता। इस सिलसिले में जमुई में एकबार और दूसरा अपने ही गृह क्षेत्र में अनचाहे अप्रिय घटना को अंजाम देना पड़ा था। कतिपय कारणों से इसका ब्योरा नहीं लिखना चाहता हूँ।

मेरे उपर पुलिस की कड़ी नजर रहती थी। 1945 के अन्त में इतनी दबिश बढ़ गई थी कि मुझे वेश बदल कर धनबाद नया बाजार में करीब तीन महीनों तक जमुई के एक दोस्त के यहाँ रहना पड़ा। मैंने अपनी पहचान बदल ली और धनबाद स्टेशन में अखबार बेचने लगा। उस समय स्टेशन परिसर में मेरे मित्र की अखबार और किताबों की दूकान थी।

1942 के आंदोलन की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे भारत में क्रांति तो थी ही, नेताजी द्वरा स्थापित आजाद हिन्द फौज से अंग्रेजों को भारी झटका लगा था। पूर्वी एसिया में आजाद हिन्द फौज में करीब पच्चीस

Scanned by CamScanner

हजार सैनिक थे जिसमें एक टुकड़ी रानी झांसी रेजिमेट भी थी। इस फौज ने भारत भूमि पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी और कोहिमा, दिमापुर के एक छावनी पर कब्जा कर लिया था। इंफाल पर भी आक्रमण किया था। नेताजी का नारा था "चलो दिल्ली" अप्रवासी भारतीय एवं भारतीय सेना से आजाद हिन्द फौज बना था। नेताजी को पूर्ण विश्वास था कि जल्द ही वो फौज के साथ दिल्ली आयेंगे और लाल किले तथा वायसराय के बंगले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे। उनकी सेना कुछ समय के लिये रंगून में रूकी थी और वो साइगोन से जापान की यात्रा पर थे। एक दुखद समाचार प्रसारित हुआ कि जिस जहाज से नेताजी यात्रा कर रहे थे वो दूर्घटना ग्रस्त हो गया और नेताजी नहीं रहे। यह अगस्त 1945 की बात थी। सारा देश दुखी था। वे मेरे पथ प्रदर्शक एवं राजनैतिक गुरू थे जिसके कारण मुझे काफी सदमा लगा था।

अंग्रेजों ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को लाल किले में लाकर बन्दी बनाया था। कालान्तर मुकदमा चला और सभी रिहा कर दिये गये।

क्रान्तिकारियों के हौसले पस्त नहीं हुये। अंग्रेजों को यह एहशास हो गया था कि अधिक दिनों तक अब उनका शासन चलने वाला नहीं है। उनकी जड़ें हिल चुकी थी। भारत छोड़ने की योजना उन्होंने बना ली। हमारे नेताओं से उनकी परामर्श भी चलनी शुरु हो गई। अन्त में 14/15 अगस्त 1947 के मध्य रात्री के समय यूनियन जैक-अंग्रेजी झंडा उतरा और हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बहुत खुशी का माहौल था, साथ ही साजिस और गम का माहौल भी। भारत पाकिस्तान का बटवारा और उसके बाद विस्थापन, साथ में कत्लों और उत्पीड़न का सिलसिला।

आजादी के बाद

अब पिताजी खुश थे कि आजादी मिल गई है साथ ही दूसरी खुशी थी कि मैं कुशल पूर्वक लौट आया था और घर में रह रहा था।

अब मेरी रुचि सामाजिक कार्यों में लगने लगी। समय निकालकर पिताजी की मदद दूकान चलाने में फिर खेती में किया करता। पिताजी खेती के अलावे श्रीपाथर में दूकान चलाते थे। घर में नियमित रूप से चर्खा चलता था। चर्खा चलाने में मेरी बहन और मेरी पत्नी दोनों प्रवीण थी। आजादी के पूर्व

Scanned by CamScanner

का यह नियमित कार्य बहुत बाद तक चलता रहा। पूरे परिवार की वस्त्र की समस्या तो निश्चित रूप से समाधान हो जाती थी। मैं आज भी खादी ही पहनता हूँ।

पटवा में एक मिडिल स्कूल तो कम से कम होनी ही चाहिये थी, जिसकी कमी खलती थी। जमीन जहाँ स्कूल हो तथा कुछ निश्चित आय के लिये अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी। इसमें मदद श्रीपाथर के जमीन्दार स्व० लड्डु बाबू (स्व० गिरिजेश्वर प्रसाद सिंह) पटवा के स्व० रामफल सिंह एवं श्री कमलेश्वरी प्रसाद सिंह (पिता स्व० मूरत लाल सिंह) ने किया, श्रमदान लिया गया और 26 जनवरी 1951 को स्कूल तैयार हो गया। शिक्षकों की बहुत कमी थी कैरी के भागवत मिश्र प्रथम शिक्षक नियुक्त हुए। काफी दिनों तक मैं उसका सचिव रहा। लड्डु बाबू के दामाद त्रिशुल बाबू (श्री त्रिपुरेन्द्र नारायण सिंह) वर्षों इस स्कूल से जुड़े रहे। उन्होंने बिना वेतन लिये स्कूल शिक्षक का काम किया और स्कूल को आर्थिक मदद की।

उनदिनों बिनोबा भावे का भूदान यज्ञ चल रहा था। 1952 में पटवा मिडिल स्कूल के मैदान में उनका कार्यक्रम हुआ। बरसात का मौसम था फिर भी कार्यक्रम सफल हुआ लोगों ने भींगते हुये उनके प्रवचनों को सुना और भूदान यज्ञ में भूदान कर सहयोगी बने। इसमें राघवेन्द्र बाबू, पशुपति बाबू अन्य कई नेता आये थे।

समय निकलता गया। पिताजी को श्रीपाथर और वहाँ दूकानदारी में मन नहीं लगने लगा। मुझे भी अलग एक कार्यालय की आवश्यकता थी। पटवा मिडिल स्कूल के उत्तर - पश्चिम सड़क किनारे जमीन खरीदी गई। वहाँ सन् 1954 में एक आश्रम का निर्माण किया और श्रीपाथर से दूकान - व्यवसाय यहाँ ले आया। यहाँ से पार्टी का काम करने और मिलने जुलने में काफी आसानी रहती थी।

एक डाकघर की आवश्यकता बहुत खलती थी। उस समय यहाँ का डाकघर घोरैया ही हुआ करता था। थोड़े से प्रयत्न से श्रीपाथर में डाकघर खुला। मैं 1954 में इसका प्रथम डाकपाल बना। पंचायती राज शुरु हुआ और मैं करीब दश वर्षों तक खड़ौन्धा स्थानीय पंचायत का मुखिया रहा। फिर 1964 में प्रमुख का चुनाव लड़ा। मेरी विजय हुई और धोरैया प्रखंड का प्रथम प्रमुख बना। घोरैया के विधायक काँग्रेस के मौलवी समीनउद्दीन अंसारी लगातार तीन बार रहे। वो हमारे अच्छे मित्रों में थे। उनके साथ भ्रमण का

Scanned by CamScanner

बहुत अवसर मिलता। हर काँग्रेस अधिवेशन में भाग लेता। घोरैया प्रखंड काँग्रेस (आई) का अध्यक्ष पद पर रहा। भागलपुर काँग्रेस कमिटि के कार्यकारणी समिति में रहा।

इन्दिराजी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान देकर हमसबों का मनोबल काफी बढ़ाया था। पेंसन एवं ताम्रपत्र से सम्मानित करना खुशी की बात तो थी ही। ढलती उम्र में आर्थिक मदद से स्वतंत्रता सेनानी लाभान्वित हुये। पेंसन शुरु होने में सेन्ट्रल जेल भागलपुर के कागजातों के कारण काफी परेशानी हुई लेकिन अग्रज आजादजी की मदद से अवरोध खत्म हुआ और पेंसन शुरु हुआ।

पटवा में एक हाई स्कूल की आवश्यकता को श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह (खैरा) 1969 में पूरा किया। बहुत दिनों तक स्व० वे सर्वलाल गुरु प्रसाद आदर्श विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक और मैं सचिव रहा।

1968 में मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गये। उनके बिस्तर पकड़ लेने और कुछ ही माह में उनके महाप्रयाण से सभी काफी मर्माहत हुये। वो अपने ज्येष्ठ पौत्र राम जी की बहुत प्रशंसा किया करते। ज्येष्ठ पौत्र वधु सरला से भी बहुत खुश रहते थे। यह संयोग ही था कि ज्येष्ठ पौत्र जो उनदिनों बी. एच. यू. में पढ़ाई कर रहा था महाप्रयाण के एक दिन पूर्व ही आया था और अंतिम समय में उनके पास बैठकर गीता पाठ कर रहा था।

1975 में जब आपातकाल लगाया गया, प्रशासनिक चुस्ती, औद्योगिक शांति तो देखने लायक थी। लेकिन इन्दिरा जी को और काँग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगले चुनाव में काँग्रेस की सरकार चली गई। तब फिर से संगठन मजबूत किया गया। यहाँ तक कि इन्दिरा जी दिल्ली में प्रखंड अध्यक्ष तक से सीधा बातें करती। इस क्रम में आजादजी के साथ इन्दिरा जी से मिला था और आनेवाले चुनाव की तैयारी की चर्चा की थी। परिणाम आशानुकूल निकला।

केन्द्रीय नेताओं का घोरैया जैसे पिछड़े क्षेत्र का दौरा हमने आवश्यक समझा। इस सुरक्षित क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क आदि की नितान्त जरुरत थी। 1982 में आजादजी के साथ जाकर इन्दिराजी से बातें की। उन्होंने श्री प्रणव मुखर्जी, सुश्री राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी और आजादजी को भागलपुर

Scanned by CamScanner

घोरैया आने को कहा । यह एक दिवसीय कार्यक्रम पटवा मिडिल स्कूल के मैदान में हुआ जहाँ केन्द्रिय नेताओं के साथ श्री जगन्नाथ मिश्र एवं श्री सदानन्द सिंह भी आये ।

आजादी के बाद खासकर 1977 इमरजेन्सी के बाद काँग्रेस ने काफी उतार-चढ़ाव देखा । काँग्रेस की हार फिर पावर में आना, इन्दिरा जी की हत्या, राजीव जी की हत्या । सभी घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया । इन राष्ट्रीय घटनाओं का असर प्रदेश पर भी बुरी तरह पड़ा । बिहार की स्थिति भी बिगड़ती गई ।उस स्थिति में 1989 में जब आजादजी एक वर्ष के लिये बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगा राज्य के दिन बदलेंगे । उनके चुस्त प्रशासन से आम लोग खुश थे । लेकिन अंदरूनी राजनीति या भीतरघात के कारण सारी उम्मीद पर पानी फिर गया । मैं सक्रीय राजनीति से धीरे-धीरे अपने को हटाता गया और 1991 में गायत्री परिवार से जुट गया । दो बार शान्तिकुंज हरिद्वार में जाकर प्रथम बार एक माह तथा दूसरी बार दो माह रहा । वहाँ के दिनचर्या में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

सन् 1993 में पटवा आश्रम में गायत्री महायज्ञ एवं सहस्त्र चण्डी यज्ञ का विशाल आयोजन करवाया । शान्तीकुंज की टोली भी यहाँ आई थी ।

गायत्री परिवार में रहते हुये सामाजिक और पारिवारिक कार्य में जुटे रहे । 1997 के 21 मार्च को काफी सदमा पहुँचा जब मेरी पत्नी हमलोगों को छोड़ इस दुनियाँ से चली गई । मृत्यु से करीब एक वर्ष पूर्व गले का केंसर पता चला था । टाटा के केंसर अस्पताल में इलाजरत रही किन्तु बच न सकी । मेरे क्रान्तिकारी समय से ही परिवार का एक मजबूत स्तंभ ढह गया था । जीवन का उतार-चढ़ाव, दुख-सुख देखे । जहाँ तीनों पुत्र रामनन्दन, लक्ष्मीकान्त और भरत अपने पैरों पर खड़े हुये, खुश हूँ वहीं तीन पुत्रियों श्यामा, शकुन्तला और जयमाला में ज्येष्ठ दामाद श्री उमाकान्त मिश्र एवं कनिष्ट पुत्री जयमाला के असामयिक निधन ने झकझोर दिया ।

Scanned by CamScanner

ट्रस्ट

1997 में ही मैंने सोचा एक गायत्री परिसर हो जिसमें गायत्री मन्दिर, पुस्तकालय और आनेवाले दिनों में समाज कल्याण की सुविधाएं जुटती जाय । तदनुसार पत्नी बैजंत्री देवी के स्मृती में उनके प्रथम पुण्य तिथि के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्र्योदसी दिनांक 10 मार्च सन् 1998 के दिन 1बजे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं मंदार विद्यापीठ के संस्थापक एवं कुलाधिपति डा० आनन्द शंकर माधवन के कर कमलों से गायत्री शक्ति पीठ का शिलान्यास सम्पन्न हुआ । इस शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता श्री रामजी सिंह पूर्व सांसद ने किया । इस समारोह में मेरे सहयोगी एवं संबंधियों की अच्छी उपस्थिति थी, जिसमें सर्व श्री बिजेन्द्र नारायण सिंह, प्रताप नारायण सिंह, विजय कुमार सिंह, शिव नारायण झा, ओम प्रकाश झा, श्रीमती उर्मिला मिश्र, श्री सारंगधर प्रसाद, श्री नरेश दास इत्यादि सैकड़ों लोग थे ।

निमार्ण कार्य प्रारंभ हुआ । इस परियोजना के लिये काफी पैसे की जरुरत थी । आश्रम में सड़क किनारे जमीन करीब आठ कट्ठा बिक्री करनी पड़ी, खेती से जो आमदनी होती वह भी इसमें लगता, मेरे पेन्सन का अधिकांश हिस्सा इसमें लगता, ज्येष्ट पुत्र रामनन्दन से मदद मिलता साथ ही मेरे कई सहयोगियों एवं सम्बन्धियों ने दान दिया । जिस दिन शिलान्यास हुआ उसी दिन श्रीमति उर्मिला मिश्र मुन्दीचक (भागलपुर) ने 21 हजार देकर मदद का सिलसिला शुरू किया । अन्य सभी नाम परिशिष्ट में है जिन्होंने अब तक तन, मन और धन से मदद किया । निर्माण के साथ ही जरूरत था ट्रष्ट बनाने, उसके पंजियन आदि बैधानिक कार्य करने का । ट्रष्ट का पंजियन बाँका रजिष्ट्री आफिस में दिनांक 22.01.2002 को हुआ । ट्रष्ट, ट्रष्टी, उद्देश्य आदि इसमें उल्लेखित है । ट्रस्ट का निबंधन संख्या 7846 बॉका है ।

दिनांक 1.12.2005 के शाम को जब मैं मन्दिर के छत पर खड़ा होकर काम करा रहा था, अचानक वहीं गिर गया । अमितेश, बौनी आदि ने मुझे उठाकर नीचे लाया । विश्राम से कुछ लाभ हुआ लेकिन उसी रात शौचालय में पुनः गिरा । मेरी स्थिति बिगड़ती गई, बाँया हाथ और पाँव काम नहीं करने लगा । धनबाद रामजी को खबर हो गई थी । भरत जी गाड़ी लेकर 2.12.2005 को पटवा पहुँचे । 02.12.2005 को मुझे धनबाद सेन्ट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया । सुविधा युक्त केबिन में

Scanned by CamScanner

रखा गया था । सेवा में राम जी, लक्ष्मीकान्त, भरत, श्यामा, शकुन्तला, तीनों बहुएँ, उदय जी, बिजय, बौनी आदि लगे रहते । दामाद पंजिकारजी, नाती मुखिया एवं सरपंच मिलने आया करते। 21.12.2005 को अस्पताल से छुट्टी मिली ।

सुधार तो महसूस हो रहा है लेकिन अब मैं चाहता हूँ जल्द मूर्तियाँ स्थापन एवं प्राण प्रतिष्ठा हो जाय । मई 2006 में स्थापना योजना है । आगे माँ की कृपा ।

21 मार्च 2006 को मैं अपनी जिन्दगी का पच्चासी वर्ष पूरा कर छियासिवाँ में प्रवेश कर रहा हूँ । जिन्दगी में जुझता ही रहा हूँ । अंग्रेजी शासन के विरूद्ध तो अपने यौवन का मात्र आठ साल ही लगाया हूँ । बाकि समय मेरी पूरी कोशिश रही की खुद सन्मार्ग पर चलकर औरों का दुख बाँटू । जुझारू जिन्दगी को इतने कम शब्दों में बयाँ करना संभव नही है । परिवार के हर सदस्य से और आने वाले पीढ़ियों को अगाह करता हूँ कि कुल देवी, देवता एवं अग्रजों के अनादर न हो । सच्ची लगन से काम करें । आपस में मेल रखें । आपके कदम किस रास्ते जा रहे हैं ध्यान रखा जाय । कहीं आपके लिये, परिवार के लिये, समाज के लिये, देश के लिये अहित तो नहीं ?

अन्त में प्रेरणा श्रोत नेता जी सुभाष चन्द्र बोस को फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ । स्व० श्री बाबू जो प्रथम मुख्यमंत्री हुये, जिन्होंने दिशा परिवर्तन में मेरी मदद की, स्व० गोविन्द सिंह , हेमजापुर जो मेरे घनिष्ट एवं जाँबाज मित्र थे को मेरी श्रद्धा सुमन । मेरे राजनैतिक अग्रज आजाद जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ । मेरे मित्र, मेरे सहायक स्व० सरयू प्रसाद सिंह (मकेसर) स्व० डा० लाल बहादुर सिंह, स्व० सिंहेश्वर प्रसाद सिंह (कोतरा) स्व० रामफल सिंह (पटवा), स्व० धनश्याम सिंह (चान्दाडीह), स्व० कुलदीप सिंह , (चान्दाडीह)स्व० केदार नाथ झा (लखपूरा) आदि सबों को श्रद्धा सुमन । अग्रज स्व० ईशान चन्द्र झा, खड़हरा का ऋणी हूँ तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ । ऐसे हजारों हजार लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मेरा साथ दिया । नाम लिखना और स्मरण भी संभव नहीं है । अपने परिवार के हर सदस्यों का मैं ऋणी हूँ जिसने मुझे स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर दिया । समाज और राष्ट्र निर्माण में लगे सबों के लिये मेरी भाव भरी मंगल कामनाएं हैं ।

Scanned by CamScanner

"उँ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।"

उस प्राण स्वरूप, दुःख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अन्तरात्मा में धारण करें । वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ।

चन्द्रशेखर मिश्र
संस्थापक-
वेदमाता गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बिहार
पी० पी० ओ० न० -19916

दिनांक :-21.03.2006

महाकुम्भ
13/06/2010

कुल परिचय एवं वंश बृक्ष

पिता, काका, पितामह से प्राप्त जानकारी मुझे सागर मिश्र यानी मेरे छः पीढ़ी उपर तक ही मिल सकी जो यहाँ संकलित है ।

ग्राम - कछुआ चकौती - प्रसादी टोल

थाना - जाले, जिला - दरभंगा ।

गोत्र - शाँडिल्य - मूल - सदरपुरिये रोहार(मैथिल ब्राह्मण)

(क्षन्दोग) : यज्ञोपवित धारण मंत्र -

''ऊँ यज्ञोपवितमसि यज्ञ सत्वोपविते नोपनश्यामि''

-ज्ञात वंश बृक्ष -

1. सागर मिश्र (एकलौता)
2. सागर मिश्र के भी एक पुत्र पशुपति मिश्र
3. पशुपति मिश्र के छः पुत्र - लाल मिश्र, श्याम राम मिश्र, माधव मिश्र, नेहाल मिश्र , सनाथ मिश्र, मानिक मिश्र ।
4. नेहाल मिश्र को एक पुत्र - रूद्रमैन मिश्र ।
   सनाथ मिश्र को एक पुत्र - उग्रमैन मिश्र ।
   मानिक मिश्र को एक पुत्र - इन्द्रमैन मिश्र ।
   लाल मिश्र, श्याम राम मिश्र एवं माधव मिश्र को पुत्र नहीं ।
5. इन्द्रमैन मिश्र को छः पुत्र - राधाकान्त मिश्र, कमलाकान्त मिश्र, उमाकान्त मिश्र, गौरीकान्त मिश्र, छोटाकान्त मिश्र, श्रीकान्त मिश्र
6. राधाकान्त मिश्र को एक पुत्र- सुधाकर मिश्र
   कमलाकान्त मिश्र को एक पुत्र-मधुरी कान्त मिश्र,
   छोटा कान्त मिश्र को तीन पुत्र -श्री चन्द्र मिश्र, श्री कृष्ण मिश्र एवं जयकृष्णमिश्र ।
7. सुधाकर मिश्र को एक पुत्र चन्द्रशेखर मिश्र (मैं)
   मधुरीकान्त मिश्र को दोपुत्र - महाकान्त मिश्र एवं बिजयकान्त मिश्र ।
   श्री चन्द्र मिश्र के तीन पुत्र-दिनेश चन्द्र मिश्र, गणेश चन्द्र मिश्र एवं श्याम चन्द्र मिश्र ।
   श्री कृष्ण मिश्र के एक पुत्र - शोभाकान्त मिश्र

Scanned by CamScanner

श्री जय कृष्ण मिश्र के चार पुत्र - सुधिर चन्द्र मिश्र, प्रेम चन्द्र मिश्र, रमेश चन्द्र मिश्र एवं धनेश मिश्र ।

8. चन्द्रशेखर मिश्र (मुझे) तीन पुत्र - रामनन्दन मिश्र, लक्ष्मीकान्त मिश्र एवं भरत मिश्र ।

दिनेश मिश्र के पाँच पुत्र - उदय चन्द्र मिश्र, सदेव चन्द्र मिश्र, हृदय चन्द्र मिश्र, भानु चन्द्र मिश्र, एवं अमोल चन्द्र मिश्र ।

गणेश चन्द्र मिश्र के चार पुत्र-ललित मिश्र, अजित मिश्र, गिरीश चन्द्र मिश्र, एवं दिलीप चन्द्र मिश्र ।

श्याम चन्द्र मिश्र के दो पुत्र- जीनेश्वर मिश्र एवं मोहर मिश्र ।

शोभाकान्त मिश्र के दो पुत्र- दिवाकान्त मिश्र एवं लीलाकान्त मिश्र ।

9. रामनन्दन मिश्र को एक पुत्र - मृदुल मिश्र ।

लक्ष्मीकान्त मिश्र को एक पुत्र - रविकान्त मिश्र ।

भरत मिश्र को एक पुत्र - अमितेश मिश्र ।

10. मृदुल मिश्र को एक पुत्र - अनुराग मिश्र "अंश"

जन्म तिथि- **24.05.2005**

जन्म स्थान - स्टुटगार्ट (जर्मनी)

10. रविकान्त मिश्र को एक पुत्र
राघव मिश्र
21.02.2008

10. अमितेश मिश्र को एक पुत्र
अभिज्ञान मिश्र
जन्मतिथि: 17-02-2018.

Scanned by CamScanner

गायत्री परिसर निर्माण में सहयोग

1. 24 कट्ठा जमीन (1200 वर्ग फीट प्रति कट्ठा) रजिस्ट्री ट्रस्ट को दिया- चन्द्रशेखर मिश्र एवं तीनों पुत्र - रामनन्दन, लक्ष्मीकान्त एवं भरत मिश्र ने
2. सभी ग्यारह मूर्तियाँ, साज सज्जा प्राण प्रतिष्ठा में सभावित सहयोग राशि - श्रीमती सरला मिश्र पुत्री स्व० अनन्त प्र० मिश्र, डरपा (बाँका)

ट्रस्टी एवं अन्य सहयोगी जिन्होंने तन-मन-धन से सहयोग किया । साथ ही दाता जिन्होंने 5001/- रू० से अधिक दान दिया ।

1. श्री चन्द्रशेखर मिश्र - संस्थापक एवं संरक्षक
2. श्री रामनन्दन मिश्र - 3. श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र
4. श्री भरत मिश्र - 5. श्रीमती श्यामा देवी
6. श्रीमती शकुन्तला देवी - पति श्री विनय-पंजिकार, कैथा, बाँका
7. श्रीमती उर्मिला मिश्र, पुत्री श्री मौजी लाल झा - मोहनपुर, समस्तीपुर
8. श्री सारंगधर प्रसाद - भगवानपुर - बाँका
9. श्री शिवनारायण झा - मोहना - बाँका, सभी ट्रस्टी
10. श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर - कदराचक - बाँका
11. श्रीमती सरस्वती पाठक - बाबुटोला - बाँका
12. श्रीमती पार्वती झा, सागरपुर- मधुबनी
13. श्रीमती नीता झा - भखरैन (मधुबनी)

Scanned by CamScanner

14. श्रीमती नमिता झा - अ०ठाढ़ी (मधुबनी)

15. श्री मृदुल मिश्र - पटवा (वर्तमान- बंगलोर)

16. श्री रविकान्त मिश्र-पटवा (वर्तमान- बंगलोर)

17. श्री अमितेश मिश्र-पटवा

18. श्री विश्वमोहन झा - भखरैन (मधुबनी)

19. श्री शेषनाथ झा - रूद्रपुर (उत्तरांचल)

20. श्री संजय कुमार झा - पटना

21. श्री ओम प्रकाश झा - लालकोठी (भागलपुर)

22. श्री हरेन्द्र सिंह - छपरा

23. श्री उमा शंकर सिंह - महेशपुर - पाकूड़

24. श्री शिवदास बनर्जी (पिता - स्व० जीतेन्द्र नाथ बनर्जी)
जिलगोरा (धनबाद)

25. श्री कृष्णा अग्रवाल (पिता -श्री बजरंग लाल अग्रवाल)
जिलगोरा (धनबाद)

26. श्री अरूण कुमार झा(पिता - स्व० शुभ नारायण झा)
बनगाँव (सहरसा)

27. श्री रामेश्वर सिंह, असैनिक अभियंता, बी.सी.सी.एल. (धनबाद)

Scanned by CamScanner

28. श्री बिजय कुमार सिंह - गुरुद्वार

29. श्रीमती पद्मा झा - पिण्डारूच (दरभंगा)

30. श्री राजेन्द्र प्रसाद बर्मा - स्वतंत्रता सेनानी, बाउर, दरभंगा ।

31. डा. नरेन्द्र प्रसाद मिश्र - दरभंगा ।

32. श्री सुरेद्र प्रसाद - पुरुषोत्तमपुर, वाराणसी ।

33. श्री सुरेद्र पंडित - कुसुम बिहार, धनबाद ।

34. विजय कुमार झा : विनकोड़िया

35. रमेश चन्द्र झा : पटना

~~36. अरुण कुमार झा : स्वामीजी सहरसा (...)~~

36. ज्योतिष चन्द्र झा : लखनपुर

37. मुगमा महिला समिति, गोपालपुर, मुगमा

38. श्री मुकेश कुमार, महमदपुर, पू० चम्पारण

39. श्रीमती करुणा रामपद कुमार बनर्जी, धनबाद

40. श्री मती शिखा आनंदमोहन मंडल, कुरमी

41. श्री शैलेश संजय कु० राय, मुगमा

42. स्पोर्टस क्लब, मुगमा रोड, ~~कु०~~ कु० राजीव

43. अखिल भारतीय महिला संघ, मुगमा शाखा

44. श्री शीतल प्रसाद, गोड्डा

वेदमाता गायत्री बैजन्त्री शक्तिपीठ ट्रस्ट,
सुधाकर आश्रम, पटवा

पत्रालय - श्रीपाथर, थाना-धरैया, जिला - बाँका (बिहार) भारत

निबंधन दस्तावेज

यह एकरारनामा २२ जनवरी सन् २००२ दिन मंगलवार को निबंधन कार्यालय बाँका (बिहार) में सम्पन्न हुआ

१.०. अधिवासी

१.१. श्री चन्द्र शेखर मिश्र, पिता - स्व० सुधाकर मिश्र, धर्म- हिन्दू, स्वतंत्रता सेनानी, पी.पी.ओ. संख्या - १९९१६, निवासी ग्राम - पटवा, पत्रालय - श्रीपाथर, थाना-धोरैया, जिला - बाँका, बिहार ।

१.२ श्री राम नन्दन मिश्र, पिता - श्री चन्द्र शेखर मिश्र, धर्म - हिन्दू, पेशा - मुख्य खनन अभियंता के रूप में कोल इण्डिया लिमिटेड में नौकरी, महाप्रबंधक के कार्य क्षमता में मुगमा क्षेत्र, ई.सी.एल., पत्रालय - मुगमा, जिला - धनबाद (झारखण्ड) में पद स्थापित ।

१.३. श्री लक्ष्मी कान्त मिश्र, पिता - श्री चन्द्रशेखर मिश्र, धर्म - हिन्दू, पेशा - नौकरी, निवास - दक्षिणी बलिहारी, बी.सी.सी.एल. धनबाद (झारखण्ड)

१.४. श्री भरत मिश्र, पिता - श्री चन्द्र शेखर मिश्र, धर्म-हिंदू, पेशा - सम्प्रति जियलगोड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग में शिक्षक, पत्रालय - जियलगोड़ा, जिला- धनबाद (झारखण्ड)

अधिवासी को जिनकी अभिव्यक्ति किसीभी तरह तब तक हँटाये नहीं जायेंगे या उनके वारिस, उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रशासक, अभ्यर्पिती और प्रथम भाग के प्रतिनिधि जोड़े नहीं जायेंगे जब विषय-वस्तु अथवा प्रसंग के प्रतिकूल समझे नहीं जायेंगे ।

एवं

Scanned by CamScanner

२.०. ट्रस्टी

२.१. श्री चन्द्रशेखर मिश्र, पिता - स्व० सुधाकर मिश्र, धर्म- हिन्दू, स्वतंत्रता सेनानी, पी.पी.ओ. संख्या - १९९१६, निवासी ग्राम - पटवा, पत्रालय - श्रीपाथर, भाया - पुनसिया, थाना-धोरैया, जिला - बाँका, बिहार ।

२.२ श्री रामनन्दन मिश्र, पिता - श्री चन्द्रशेखर मिश्र, धर्म - हिन्दू, पेशा - नौकरी, मुख्य खनन अभियंता, कोल इण्डिया लिमिटेड, ई.सी.एल., मुगमा क्षेत्र, महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित ।

२.३. श्री लक्ष्मी कान्त मिश्र, पिता - श्री चन्द्रशेखर मिश्र, धर्म - हिन्दू, पेशा - नौकरी, निवास - दक्षिणी बलिहारी, बी.सी.सी.एल. धनबाद (झारखण्ड)

२.४. श्री भरत मिश्र, पिता - श्री चन्द्रशेखर मिश्र, धर्म - हिंदू, पेशा - नौकरी सम्प्रति जियलगोड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग में शिक्षक, पत्रालय - जियलगोड़ा, जिला- धनबाद (झारखण्ड)

२.५. श्रीमती श्यामा देवी, पति - स्व० उमा कान्त मिश्र, धर्म - हिंदू, पेशा - गृह-स्वामिनी, निवासी ग्राम - बरहरा, थाना - बेलहर, जिला - बाँका बिहार, सम्प्रति लाल कोठी, ततारपुर, भागलपुर में अवस्थित ।

२.६. श्रीमती शकुन्तला पन्जिकार, पति - श्री विनय पन्जिकार, धर्म - हिन्दू पेशा - गृह-स्वामिनी, ग्राम - कैथा, थाना - शम्भूगंज, जिला - बाँका बिहार के निवासी ।

२.७. श्रीमती उर्मिला मिश्र, पिता - श्री मौजी लाल झा, ग्राम - मोहनपुर, पत्रालय - पटौरी, थाना, जिला - समस्तीपुर, सम्प्रति निवासी गिरीश बनर्जी रोड मुन्दीचक, भागलपुर ।

Scanned by CamScanner

२.८. श्री सारंगधर प्रसाद, पिता - स्व० सूर्य मोहन प्रसाद, निवासी - ग्राम- भगवानपुर, थाना - धोरैया, जिला - बाँका, बिहार ।

२.९. श्री शिवनारायण झा, पिता - स्व० हिमाँचल झा, धर्म-हिन्दू, निवासी ग्राम - मोहना, थाना - रजौन, जिला - बाँका, बिहार ।

इसमें उपरोक्त नवों व्यक्ति ट्रस्टी कहलायेंगे और द्वितीय भाग में जिनकी अभिव्यक्ति कार्यालय में इन सबों की उपस्थिति में किसी भी तरह तबतक हटाये नहीं जायेंगे अथवा कुछ समय के लिए अतिरिक्त ट्रस्टी जोड़े नहीं जायेंगे जबतक विषय वस्तु या प्रसंग के प्रतिकूल समझे नहीं जायेगें ।

३.०. भेंट :-

३.१. उपरोक्त सभी अधिवासी (सेट्लर) अपने एक हिस्से से देवता का ट्रस्ट प्रतिष्ठित कर एक भेंट सृजन करना चाहते हैं जो लोगों के धर्म और पुण्यार्थ विषय तथा कार्य हेतु भारत और भारत के बाहर सम्पूर्ण विश्व के देशों के लिए वेद माता गायत्री बैजन्त्री शक्तिपीठ ट्रस्ट. सुधाकर आश्रम के नाम से ग्राम - पटवा, पत्रालय - श्रीपाथर, भाया - पुनसिया, थाना - धोरैया जिला - बाँका, बिहार, भारत में होगा ।

३.२. इसके सभी ट्रस्टी श्री चन्द्रशेखर मिश्र, अधिवासी / ट्रस्टी के अग्रह पर बने जो इसमें अर्न्तविष्ट नियमों तथा शर्तों के अनुसार इन सबों की उपस्थिति में एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए । किसी भी तरह ट्रस्टी की संख्या नौ से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी ।

३.३. श्री चन्द्रशेखर मिश्र, अधिवासी/ट्रस्टी संख्या एक, इसके मुख्य ट्रस्टी अथवा अध्यक्ष होंगे जो अपने जीवन पर्यन्त होंगे और उनके मृत्युपरान्त उनके बड़े बेटे और तदुपरान्त उम्र के अनुसार दूसरे पुत्र होंगे तथा उसके बाद सबसे बड़ा पोता होगा और इसके क्रमानुसार ट्रस्टी के मुख्य ट्रस्टी अथवा

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष होंगे ।

४.०. एकरारनामा

अब इस एकरारनामें की गवाही निम्न है :-

४.१. एक आम धार्मिक तथा पुण्यार्थ ट्रस्ट के सृजन और स्थापना के उक्त विषयक कार्य सम्पन्न करने के उद्देश्य से उपरोक्त अधिवासी प्रारम्भिक मूल राशि २५०००/- रूपये पचीस हजार मात्र हस्तान्तरित तथा निम्नलिखित अपनी अचल सम्पत्ति ट्रस्ट को प्रदान कर चुके हैं :-

मौजा-पटवा थाना - धोरैया जिला - बाँका

खाता	खेसरा	क्षेत्र	चौहद्दी			
			उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
१५ एल. के मिश्र एवं	४१	(३८ डिसमल)	एल.के.मिश्र स्वयं	कमलेश्वरी सिंह एवं	आर.एन.मिश्र नारायण सिंह	हुरो बैठा
२३ आर.एन.मिश्र	४२	(२७.२५ डिस.)	आर.एन.मिश्र स्वयं	सड़क धोरैया	आर.एन.मिश्र स्वयं	शक्तिपीठ एवं कमलेश्वरी सिंह

जमीन का कीमत ३६०००, छत्तीस हजार + २५००० पचीस हजार - कुल ६१०००, जमीन एक फसली है ।

इसमें भाग लेने के विचार से वे सभी उपने स्वामित्व अधिकार, नाम अधिकार तथा आधिपत्य तथा उसमें दावे, सबकुछ ट्रस्ट के नाम में ट्रस्टी प्रदान करेंगे जो उसका नियंत्रण करते रहेंगे तथा कुछ समय के लिए उसका प्रतिनिधित्व करते रहेंगे तथा अन्य सभी धन, हो सकता है वह कुछ समय के लिए हो, समस्त संयोजन सहित ट्रस्ट सम्पदा का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसका समस्त एकत्रित लाभ तथा समस्त अन्य सम्पत्ति जो इससे बाहर से भी इकटठा किया गया हो या परोपकारी उद्देश्य तथा कारण और व्यवहार के लिए जो भविष्य में ट्रस्ट विषयक हो सकता है इसके बाद इसमें आगे ट्रस्ट निधि के रूप में सौंपना है । इसके आगे इसे सम्बन्धित इसमें दिये गये नियमों तथा शर्तों पर अधिकार सहित अभिव्यक्ति है ।

Scanned by CamScanner

४.२. ट्रस्ट का नाम 'वेद माता गायी बैजन्त्री शक्तिपीठ ट्रस्ट' होगा और कथित ट्रस्ट का मुख्यालय स्थाई रूप से सुधाकर आश्रम पटवा, पत्रालय-श्रीपाथर, भाया- पुनिसया, थाना-धोरैया, जिला-बाँका, बिहार, भारत में होगा ।

४.३. सभी ट्रस्टी और इनमें से कोई ट्रस्टी या तो भारत के अन्तर्गत किसी स्थान या शहर अथवा विश्व देशो में किसी स्थान या देश से बाहर के किसी शहर में इसका कार्यालय खोल सकते हैं ।

४.४. यह इन ट्रस्टी की सक्षमता के अन्तर्गत होगा कि जब वे ट्रस्ट का शाखा कार्यालय खोलेंगे या ट्रस्ट को ले जाने या उसका स्थान बदलने या इस विषय को बंद करते समय उसे मुख्यालय अथवा इसके अध्यक्ष से इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

४.५. एक से चार तक के उपरोक्त नामित आबादकारी/ट्रस्टी बिना किसी धमकी जबरदस्ती, भय के उनके स्वतंत्र हृदय, स्वेच्छा एवं सर्वसम्मति से उपरोक्त लिखित अचल सम्पत्ति और रू० २५०००/- रूपये पच्चीस हजार, प्रारम्भिक धन दान देने का निर्णय लिये तथा उपरोक्त दिये गये नाम से ट्रस्ट प्रतिष्ठापित तथा स्थापित करने का निर्णय लिए अतः उपरोक्त "शक्ति पीठ" के नाम से वे आज यह भेंट पंजीकरण का दस्तावेज तैयार किये तथा इसके आगे ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी एक साथ वर्तमान तथा भविष्य की सम्पत्ति के मालिकों, नियंत्रक, और प्रबंधक होंगे ।

५.०. उद्देश्य :

ट्रस्ट नियमों और शर्तों का उद्देश्य निम्न होगा :-

५.१. अधिवासी द्वारा उपरोक्त वर्णित तथा दान दी गई जमीन पर गायत्री मंदिर निर्माण करने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति के अनुरुप और आवश्यक समझा गया तो मंदिरों तथा अन्य पूजा स्थलों की मरम्मत भी की जायेगी ।

Scanned by CamScanner

५.२. ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में उपरोक्त नामित व्यक्तियों की समिति होगी तथा वे सभी अथवा कोई इसकी स्थापना, उन्नति, इसे खड़ा करने, उसे चलाने इसे बनाये रखने, इसमें वित्तीय सहायता करने, इसे सहारा देने, इसका कोष बृद्धि करने तथा इसे खड़ा करने में सहायता अथवा योगदान करने और / अथवा इके निर्माण तथा / या विद्यालय, अनाथालय, पुस्तकालय, अस्पताल चलाने एवं अन्य संस्थाएँ या अनाथाश्रम, विधवा घर, विक्षिप्त शरण संस्थान, गरीब घर या गरीबों की सहायता करने अथवा उसे छूट देते हेतु बृद्ध और सूचित लोगों, बाढ़ पीड़ितों, लाचार, बीमार लोगों, अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा देने, सड़क बनाने, नाला बनाने आदि और / या इस अकिंचन की सहायता करने का कार्य करेंगे ।

५.३. पात्र एवं जरूरतमन्द गरीब व्यक्तियों को भोजन, दवा तथा अन्य सहायता और / या किसी प्रकार या रूप में देना, प्रस्तुत करना है ।

५.४. प्राकृतिक आपदा से पिड़ितों जैसे बाढ़, आग, अकाल च्रकवात, भूकम्प तूफान, दुर्घटना, महामारी, सुखाग्रस्त, महामारी, रहन-सहन में असहय लागत हेतु जरुरतमन्द लोगों तथा जानवरों की राहत हेतु सहायता/अथवा वित्तीय योग / अथवा देना और प्रस्तुत करना है तथा ऐसे अवसर पर राहत कार्य करने वाले लोगों अथवा केन्द्रों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों को दान अथवा अंशदान प्रदान करने जैसा कार्य होगा ।

५.५. गरीब जनता के उपयोग हेतु धोती, साड़ी, कम्बल, ऊनी कपड़े, रूई के कपड़े की रजाई, ऊन, सिल्क या अन्य बहुतेरे प्रकार के कपड़े या अन्य आवश्यकताओं और सुविधाओं की वस्तुएँ देना, वितरण करना कुआँ, नल-कूप, टंकी, पानी टंकी और पेड़ तथा पार्क, सड़क, पुल इत्यादि बनाना तथा उसकी मरम्मत करने, उसकी स्थापना या उसके रख-रखाव के लिए स्थापना करना, रख-रखाव करना या अनुदान देना है ।

५.६. प्रदुषण मुक्त पर्यावरण के रख-रखाव के लिए किसी स्थान पर पेड़ अथवा

Scanned by CamScanner

बहुतेरे पेड़ लगाना ।

५.७. कोष की व्यवस्था करना जो आवश्यकतानुसार :- स्कूल, महाविद्यालय, सम्भाषण कक्ष तथा अन्य संस्थापन या अन्य संस्थानों में उसकी स्थापना में मदद करने और / या रख-रखाव में और / या चलाने में सहायता करने कला, विज्ञान, साहित्य, मानवता तथा / या अन्य उपयोगी विषयों में शिक्षा एवं ज्ञान की उन्नति के लिये उपयोगी सिद्ध हो ।

५.८. कोष की व्यवस्था करना जो आवश्यकतानुसार चालू अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोजन व्यवस्था, घर, होटल, पुस्तकालय, शिक्षण कमरा, व्यायामशाला तथा अन्य प्रशिक्षण और व्यवसायकि संस्थान खोलने या रख-रखाव में उपयोगी हो ।

५.९. प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तकनीकि एवं चिकित्सा शिक्षा सहित और शारिरिक प्रशिक्षण, हिन्दी कक्षा का प्रशिक्षण, उत्तम कला तथा अन्य उपयोगी कला, जनता के बीच शिल्पकारी संस्थापन एवं शिल्प शिक्षालय का रख-रखाव सहित कला केन्द्र और उनमें से अन्य कल्याण केन्द्र खोलना या उन्हें प्रोत्साहित करना ।

५.१०. परिश्रमी एवं मेघावी छात्रों को उसकी उचित पढ़ाई में यथा संभव योगदान करना जो देश या विदेश में हो ।

५.११. जन साधारण महिलाओं के बीच हस्तकला को विकसित एवं उत्साहित करना और स्थापना करना और इस प्रकार की शिक्षा संस्थान के रख-रखाव संभालना अथवा प्रबोधक उपहार द्वारा सहायता करना, महिलाओं एवं बच्चों के लिए भिन्न प्रकार के केन्द्रों और संस्थानों की सहायता करना तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए समाजिक कल्याण कार्य करना ।

५.१२. व्यवसायकि एवं तकनीकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु देश से बाहर

Scanned by CamScanner

जानेवाले छात्रों के लिए यथा संभव मदद करना ।

५.१३. स्कूलों कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, तकनीकि संस्थानों, कला विद्यालयों, संस्थानों, व्यासायिक पढ़ाई में तथा सांस्कृतिक कला की पढ़ाई सहित या अन्य शोध प्रशिक्षु कार्य भारत या भारत के बाहर रहकर उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में उन्हें सहायता विचार सहित छात्रों को नकद या कृपालु सहायता हेतु छात्र वृत्ति, वृत्तिका, पुरस्कार, इनाम, भत्ता तथा अन्य वित्तीय सहायता स्वीकृत करना, भुगतान करना या देना ।

५.१४. कोष की व्यवस्था करना ताकि आवश्यकतानुसार अस्पतालों, परोपकारी औषधालयों, प्रसवशालाओं, शिशु कल्याण केन्द्रों, स्वास्थ्य लाभ करने वाले घरों, सभागारों, छात्रावासों को चलाने और / या रख-रखाव करने और या / खड़ा करने खोलना तथा इस प्रकार के अन्य संस्थानों या केन्द्रों को चिकित्सा सुविधा देने या प्रस्तुत करने के लिए खोलना और / या कष्टप्रद मानवता को या चिकित्सा सहित चिकित्सा योजना या शिक्षा या अनुसंधान की उन्नति के अनुसंधान केन्द्रों और संस्थानों को सहायता दिया जाय ।

५.१५. कोष व्यवस्था करना ताकि जरूरत पड़ने पर अन्य प्रकार के केन्द्र, स्टेडियम, विविध मैदान और जनसाधारण के उपयोग हेतु पार्क, खेल-कूद तथा अन्य समाजिक कल्याण कार्य और / या भारत के अर्न्तगत अथवा भारत के बाहर जन अभिरूचि में क्रियाकलाप रखा जा सके ।

५.१६. निधि व्यवस्था ताकि आवश्यकतानुसार सामाजिक केन्द्रों, सभी भवनों और जनता को अन्य सेवा और कल्याण को चालू करने जैसे सामाजिक उपयोगी क्रिया-कलाप तथा कार्यक्रमों के लिए कमरा देना, आदि कार्य किया जा सके ।

५.१७. कोष व्यवस्था करना ताकि धर्मशाला, कुआँ गहरे पाईप नल, हौज,

Scanned by CamScanner

सड़क और नाला आदि को सहायता या योग देना संभव हो सके ।

५.१८. किसी व्यक्ति संस्थान या समाज या संगठन जो भी हो इसके परोपकारी कार्य के उद्देश्य हेतु योग देना तथा इससे सम्बन्धित खर्च वहन करना ।

५.१९. ट्रस्ट के उद्देश्य के अनुरूप कोई संस्था देश या विदेश में लोक हितार्थ यदि काम करता है तो उसकी यथा संभव मदद करना ।

५.२०. पेड़ों, बगीचों, पार्कों इत्यादि को प्रश्वासित करना ।

५.२१. शिक्षा और संस्कृति की उन्नति और विस्तार के लिए भारत में या भारत के बाहर पुस्तकें, पत्रिकाएँ, पम्पलेट तथा समाचार पत्रों का प्रकाशन और / या प्रकाशित करना ।

६.०. **प्रकार्य :**

६.१. अपनी-अपनी सर्वोत्तम योग्यतानुसार ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति और गायत्री अहाते के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए प्रचुर मात्रा में ट्रस्टी कोष की व्यवस्था तथा संचय करेंगे ।

६.२. **प्रथमतः** आबाटकारों द्वारा दान दी गई जमीन पर ट्रस्टी **मंदिर/पक्का** ढाँचा/मकान बनवायेंगे इसके पूरा होने के बाद ट्रस्टी **श्री गणेश,माँ** गायत्री, भगवान शिव, माँ दुर्गा तथा बजरंगबली की मूतियाँ स्थापित करवायेंगे ।

६.३. उपरोक्त देवी-देवताओं की स्थापना के बाद ट्रस्टी पूजा हेतु उपरोक्त स्थान की सफाई एवं उसके रख-रखाव के लिये पूजा करने वाले, फूल लगाने वाले तथा अन्य व्यक्तियों की व्यवस्था करेंगे जो प्रतिदिन पूजा-पाठ, भोग नैवेद्य इत्यादि करेंगे जिनका पारिश्रमिक/मानदेय / रहने की

Scanned by CamScanner

व्यवस्था का निर्णय ट्रस्ट द्वारा किया जायगा । उपरोक्त कार्य करने के लिए ट्रस्टी में से एक या कोई एक व्यक्ति/व्यक्तियों को भी अधिकृत या स्वैच्छिक अधिकार दिया जा सकता है ।

६.४. इन सबों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अगर कोई एक या एक से अधिक सार्वजनिक, परोपकारी स्वभाग का उद्देश्य नहीं हुआ/नहीं है तो ट्रस्टी ऐसे उद्देश्य या उद्देश्यों को नहीं चला सकेगी और यह माना जाय कि उनकी समाविष्टी नहीं है, किन्तु ट्रस्ट की मान्यता जन-साधारण परोपकारी कार्य के लिए इस ट्रस्ट के रूप में किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी।

६.५. समय-समय पर बैठक, विचार के बाद ट्रस्टी इसके खर्च की देखभाल तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक होंगे, तथा ट्रस्ट के खास उद्देश्य या उद्देश्यों का निर्णय ट्रस्ट करेगा जिसके लिए आमदनी या ट्रस्ट निधि का संग्रह या कुछ समय के लिये प्राप्य सम्पत्ति प्रयुक्त होगा ।

६.६. ट्रस्टी या उसका कार्यालय या शाखा कार्यालय किसी तरह का अनुदान अथवा चंदा नकदी या कृपालु किसी व्यक्ति से कम्पनी, निगम, संघ, संस्थान या ट्रस्ट अधिवासी और ट्रस्टी सहित या ट्रस्ट के उद्देश्य के प्रोत्साहन के लिए अनुग्रह राशि या दान राशि ले सकता है ।
ट्रस्टी किसी अन्य परोपकारी या सामाजिक संस्थान को उपरोक्त नियमों से अधिकार में ले सकता है यदि वे समुचित समझते हों तथा ऐसे संस्थानों का प्रबंध कर सकते हैं ।

६.७ प्रबंधकीय कार्य हेतु एवं ट्रस्ट के साधारण नियमों को बिना असर किये ट्रस्ट परिषद को निम्नांकित कार्य होंगे :

(क) ट्रस्ट के लाभ हेतु आवश्यक हो तो उधार या अन्य प्रकार से आर्थिक

Scanned by CamScanner

सहायता ले सकता है और ट्रस्ट के लिये दिये गये उद्देश्य को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिये ट्रस्टी ऐसे उधार पर एकमत से सहमत होना होगा । तथा इनके निर्णय या उनकी सहमति के नियमों तक सिमित होगा एवं दो या दो से अधिक ट्रस्टी होंगे जिसमें उनके मुख्य ट्रस्टी संख्या ॥ एक ॥ ऐसे कागजातों, दस्तावेजों, कागजातों आदि जैसा कि उनमें आवश्यक हो सकता है, निश्चित रुप से उनमें से एक की बहाली (सेट्लर) में से ऐसे कागजातों को कार्यान्वित कर सकेंगे ।

(ख) इसके लिये व्यवस्था करना और या हस्ताक्षर अधिकार देना या किसी अन्य कागजातों का कार्यान्वयन करना या हस्ताक्षर होने के लिए लिखित मांग करना या ट्रस्टी के बदले कार्यान्वित ट्रस्टी में से किसी दो को इसके बदले में नामित किसी (सेट्लर) में से ट्रस्ट के परिषद के अध्यक्ष द्वारा करना । उसे असरयुक्त एवं बंधनयुक्त बनाने मान लिया जाय । उपरोक्त समझौता अनुबंध, औजार या कागजात या लिखित समस्त ट्रस्टी द्वारा सहमति प्राप्त है ।

(ग) ट्रस्टी की एक उप समिति की नियुक्ति करना या नियम बनाना है जो किसी कार्य के निरीक्षण करने या कार्यों में विशिष्ठ रुप से उल्लिखित कार्य या ट्रस्ट के मुद्दे में ऐसी बात और विषयों जैसे कि ट्रस्टी समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं को सम्पादित करेगा ।

(घ) किसी सम्पत्ति या कोई निधि या ट्रस्ट विषयक किसी प्रकार की लागत दृढ़ करने में एक या एक से अधिक ट्रस्टी को अधिकृत करना है । किन्तु ऐसे शर्तों तथा दशाओं नियमों तथा कानूनों जैसे ट्रस्टी का परिषद समय-समय पर बनाने वह ट्रस्ट के अनुकुल होना चाहिये ।

(च) ट्रस्ट के समस्त उद्देश्यों या किसी उद्देश्य को कार्यान्वित करने तथा उन्नति करने, कार्यान्वित करने के लिए ट्रस्ट के नाम में तथा ट्रस्ट के नाम के लिए एक या अधिक मकानों को बनाने या और कोई जमीन खरीदने के लिए ट्रस्ट निधि का लाभ या संग्रह के किसी भाग को खर्च कर सकता है ।

६.८ ट्रस्ट सम्पत्ति के प्रबंधन काल में उससे सम्बन्धित सभी बातें एवं

Scanned by CamScanner

खर्च किये एवं समस्त प्राप्त की हुई राशि एक सही लेखा के लिए ट्रस्टी ध्यान रखेंगे ।

६.९ ट्रस्ट स्थाई सम्पत्ति या स्थाई सम्पत्ति के बंधक को खरीदने में ट्रस्ट सम्पदा लागत कर सकता है या इस प्रकार के नियमों द्वारा जैसी अनुमति है, समय-समय पर प्रयुक्त लिये जा सकने हैं तथा बदलने, भिन्न होने, निपटाने यासमय-समय पर ऐसी लागत स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते कि यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के लाभ हेतु कानून १९६१ की धारा १३ के उपधारा ३ का उलंघन नहीं होगा ।

७.० ट्रस्टी के अधिकार और कर्त्तव्य :

७.१ इनमें से कोई भी ट्रस्टी अनूदान, चंदा, योग या तो नकद अथवा कृपालुता को स्वीकार नहीं करेंगे जिसका आयकर भुगतान किया हुआ न हो । इसका मतलब उपरोक्त योग सहायता इत्यादि जैसा कि उपर कहा गया है, अवश्य ही आयकर निधि से मुक्त होगा ।

७.२ जैसा किउपर कहा गया है अधिवासियों में से ट्रस्टी के दो नामित ट्रस्टी को ही ट्रस्ट के हिस्से या भाग के चल और अचल सम्पत्ति ट्रस्ट सम्पदा के हिस्से बनाने या तो आम निलामी या निजी ठेकेदारी द्वारा ऐसे कीमतों या दामों पर उसे बेचने अथवा पट्टे पर देने की छूट होगी तथा ऐसे नियमों तथा शर्त्तों जो उपाधि/शीर्षक या अन्य से हर हाल में सम्बन्धित है जैसा कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से वे लोग अपने अबाधित निर्णय ले सकते हैं यदि वे समुचित समझेंगे तथा रद्द करने या बेचने के लिए कोई भी ठेका और ट्रस्टी में से उपरोक्त दो नामित ट्रस्टी द्वारा उसे पुन: बेचने , जो अनुत्तरित होगा या उनसबों से संयोगवश कोई हानि और समस्त परिवहन को कार्यान्वित करने या आश्वासन तथा मान्य पारित करने और सफल पावती तथा उनलोंगो द्वारा प्राप्त मुद्राओं को मुक्त करने का निर्णय लेंगे ।

Scanned by CamScanner

७.३ ट्रस्ट सम्पदा उनके किसी हिस्से में समाविष्ट किसी परम्परागत जमीन और अहाते को कुछ समय के लिए उसका प्रबंध या प्रबंधन का पर्यवेक्षण ट्रस्टी कर सकता है, उस अधिकार के साथ कि निर्माण करने तोड़ने , पुर्ननिर्माण करने, नाला बनाने का काम ट्रस्टी कर सकता है और सड़क तथा अन्य कार्य के उत्थान एवं विकास खेती करने या पूरी खेती होने के प्रसंग में या उपरोक्त कथित जमीन के लिए कुछ भी दायाप्ति और अहाता तथा घरों और मकानों को आग लगने के विरूद्ध सुनिश्चित करना है और/या अन्य जोखिमों या बाधा, पट्टा दान भत्ता बनाने और भाड़ेदारों के साथ व्यवस्था, खेतिहरों तथा आम लोगों के लिए उपरोक्त लिखि जमीन का व्यवहार, दायाप्ति और अहाता जैसा वे उचित समझें कर सकते हैं एवं अबाधित निर्णय ले सकते हैं बशर्ते कि अध्यक्ष से पूर्व अनुमति मिल गई हो ।

७.४. सचिव, प्रबंधक, वकील, अन्केक्षक, वास्तुकार, अभियन्ता, सर्वेक्षक गोमास्ता, धोबी, मेहतर, स्थाई श्रमिक, पण्डित और पुजारी, फूल लाने वाला, या अन्य कर्मचारियों की बहाली प्रबंधन ट्रस्ट सम्पदा कार्य के लिए कर सकते हैं बशर्ते आर्थिक सम्पन्नता है । भाड़ा वसूलने इकट्ठा करने के लिए, आमदनी तथा लाभ का लेखा-जोखा रखने तथा अभिलेखन करने के लिए और ट्रस्ट के अन्य कार्य के लिए अगर कोष यह अनुमति दे कि किसी भी स्थिति में ट्रस्ट उपरोक्त कर्मचारियों की बहाली के लिए कर्जदार नहीं है । आभारी नही है । समस्त ट्रस्टी की सहमति देनी होगी किन्तु, अगर इसमें कोई अन्तर होगा, अध्यक्ष के विचार और निर्णय ट्रस्ट की कोष स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्तिम होगा । किसी भी स्थिति में ट्रस्ट ऋणी नहीं होगा ।

७.५. जैसा कि उपर कहा गया है सुधाकर आश्रम पटवा के मुख्यालय को छोड़कर ट्रस्टी इसका शाखा कार्यालय ऐसी जगह या जगहों पर खोल सकता है तथा उस जगह या जगहों को समय-समय पर बदल भी सकता है जैसा वे समुचित सोचेंगे बशर्ते कि अध्यक्ष की अनुमति पूर्व ले ली गई हो ।

Scanned by CamScanner

७.६. ट्रस्टी को समस्त कार्य और अन्य कार्यवाही को मेल मिलाप करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट सम्पदा सम्बन्धित अन्तर एवं द्वन्द का निबटारा कर सकते हैं । ट्रस्ट की सम्पत्ति और इस अन्तर या द्वन्द की मध्यस्थता तथा समायोजन और शांति, ट्रस्ट सम्पदा से सम्बन्धित सभी लेखाओं को, करने भेज सकता है कि यहाँ भी अध्यक्ष की पूर्व अनुमति निश्चित रूप से चाहिये ।

७.७. ट्रस्ट विषयक योजनाओं तथा नियमों और कानूनों को समय-समय पर बना सकता है और बदल भी सकता है जो ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिये उचित समझे । अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होगी ।

७.८. ट्रस्ट के संचालन में किसी प्रकार के रूपये, संचय निधि, हिस्सा, सुरक्षा या लागत भुगतान, छुड़ाया हुआ या ट्रस्ट के संचालन में उनके पास का स्थानानन्तरण ट्रस्टी में से किसी एक या उससे अधिक किसी ट्रस्टी द्वारा स्वीकृत पावती रसीद देगा । ऐसे रसीद वही एवं भुगतान प्राप्ति के लिए वह ट्रस्टी जिम्मेदार होगा ।

७.९. किसी दानशील संस्था से मदद लेने पर या चन्दा देने पर ट्रस्टी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है । ट्रस्ट सम्पत्ति या आमदनी या किसी खास उद्देश्य के किसी हिस्से को चिन्हित करने के लिए ट्रस्टी अधिकृत होंगे बशर्ते कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति ली गई हो ।

७.१०. यात्रा खर्च सहित ट्रस्ट के कार्य निस्पादन में या कार्य निस्पादन के लिए इन लोगों की उपस्थिति में उनके द्वारा किये गये सभी खर्च ट्रस्टी अपने को स्वयं अदा कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं या ट्रस्ट से निकाल सकते हैं । ट्रस्टी अवैतनिक होंगे ।

७.११. सभी ट्रस्टी अपने प्राकृतिक जीवन के अंतराल सदैव ट्रस्टी बने रहेंगे जबतक कि वे स्वेच्छया पद त्याग न कर दें या जबतक किसी प्रकार

Scanned by CamScanner

७.१२. ट्रस्ट के इस दस्तावेज का निष्पादन एवं निबंधन प्रथमतः ट्रस्ट उपरोक्त आधार पर बिहार धार्मिक ट्रस्ट परिषद में भी निबंधित होगा ।

७.१३. ट्रस्ट : ट्रस्टी : के सभी सदस्य अपने मुक्त सेवा भाव के उद्देश्य से अपना कर्त्तव्य पालन करेंगे । किन्तु उन्हें ट्रस्ट के किसी सम्पत्ति या सम्पत्तियों पर कोई नाम, अधिकार प्राप्त नहीं करने दिया जायगा, सदैव यह अधिकार अध्यक्ष में निहित होगा या उनके वारिस, उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि में निहित होगा । भविष्य में अगर ट्रस्टी लोग सहयोग नहीं करेंगे और अध्यक्ष तथा अधिवासी ट्रस्ट के उद्देश्य या उद्देश्यों को चालू रखने में संभव नहीं देखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में समस्त सम्पति की अधिवासी अथवा उनके वारिस, उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि को वापस और निहित होगी और अन्य ट्रस्टी लोगों या और बाहरी व्यक्ति द्वारा दावा अवैध और अकारण समझा जायगा और किसी तरह भी अधिवासियों या उनके वारिस और उत्तराधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए वैद्य नहीं होंगे ।

७.१४. ट्रस्टी लोगों के नियमों एवं शर्तों, अधिकार और कर्त्तव्य और अन्य विषय-वस्तु जिसके लिए इनलोगों की उपस्थिति में दिये जाते हैं, एकमत से निर्णय होगा बशर्ते कि अध्यक्ष मन्तव्य की वरिष्ठता हो ।

७.१५. बिहार धार्मिक परिषद के ट्रस्ट में इस ट्रस्ट के निबंधन के बाद, यह ट्रस्ट नियमित रूप से सदस्यता शुल्क भुगतान करेगा ।

७.१६. समय-समय पर अध्यक्ष सर्म्पक करते रहेंगे और वेद माता गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट शांति कुंज, हरिद्वार से सहायता लेते रहेंगे ।
व्यवस्था का निर्णय ट्रस्ट द्वारा किया जायगा । उपरोक्त कार्य करने के लिए ट्रस्टी में से एक या कोई एक व्यक्ति/ व्यक्तियों को भी अधिकृत या स्वैच्छिक अधिकार दिया जा सकता है ।

Scanned by CamScanner

७.१७. ट्रस्ट के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह मासिक पत्रिका ''युग निर्माण योजना'' मथुरा, ''अखंड ज्योति'' मथुरा, ''प्रज्ञा'' पाक्षिक शांतिकुंज, हरिद्वार का आजीवन सदस्य बनें और पुस्तकों के समस्त सेट एक साथ जो आदरणीय गुरूदेव आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है, ट्रस्ट के पुस्तकालयों में रहेगी ।

७.१८. ट्रस्टी नेत्रदान, मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा आवश्यक लोगों के लिए, रक्तदान केन्द्र इत्यादि का शिविर समय-समय पर संगठित कर सकते हैं ।

७.१९. आम जनता के हित में, खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ट्रस्ट लाभ-हानि रहित विभिन्न सामग्रियों की सहकारिता दुकानों को खोलेंगे और रख-रखाव करेंगे ।

७.२०. यदि कोई ट्रस्टी कदाचार में लिप्त है तो ट्रस्ट परिषद सर्वमत से उसे निकाल सकता है । उसके पहले कदाचार या उसके द्वारा किया गया गलत कार्य लिखित रूप से उक्त ट्रस्टी को दिया जायगा । उसे जवाब देने का मौका भी दिया जायगा । अंत में ट्रस्टी परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कारवाई की जायेगी और इसके विरूद्ध में किसी कोर्ट में इस सम्बन्ध में सुनवाई नहीं होगी । उनके बदलाव के लिए उनके विरूद्ध अभियोग तथा इसके बदलें में ट्रस्टी परिषद का निर्णय अन्तिम बाध्यकारी होगा और उसे प्रश्न में या तो किसी कानून के न्यायालय में या किसी तरह कही भी लाया नहीं जायगा ।

७.२१. प्रत्येक विषय में ध्यान, विचार और निर्णय की वरिष्ठता ट्रस्ट के अध्यक्ष में निहित होगा जो ट्रस्ट के उद्देश्य और कार्य के विरूद्ध स्वेच्छाचार नहीं होगा ।

८.०. बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंध :-

८.१. ट्रस्टी एक या अधिक खाता एक या कई बैंको में खोल सकता है । या इस खाता या खाताओं की राशि के संचालन संबन्धी बैंक को ट्रस्टी के परिषद के अध्यक्ष द्वारा बनाये गये एक कार्यक्रम सहित संयुक्त रूप से ट्रस्ट के दो या दो से अधिक समुचित संकल्पों द्वारा अधिकृत करना और इस खाता या खाते की राशि को बैंक से संबंधित संचालन का समस्त समुचित निर्देश देने हेतु अधिकृत होंगे ।

Scanned by CamScanner

८.२. ट्रस्ट निधि से किसी स्थाई सम्पत्ति के संबंध में भुगतान योग्य सभी परिव्यय तथा बकाया ट्रस्टी भुगतान कर सकते हैं । आवश्युकतानुसार इसकी मरम्मति करवा सकते हैं और आग से क्षति या हानि के विरूद्ध बीमा कर सकते हैं । अन्य सभी खर्च ट्रस्ट का परिव्यय एवं अन्य सभी खर्च, इस प्रसंग में लागत ट्रस्ट सम्पत्ति के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए वहन कर सकते हैं । ट्रस्ट अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी ।

८.३. प्रारम्भिक मूलधन रू० २५०००/- रूपये पच्चीस हजार : जैसा कि उपर वर्णित है के अतिरिक्त अपने-अपने स्तर से भारत या विदेश से भी अनुदान या चन्दा वसुली प्रक्रिया ट्रस्टीगण करेंगे ।

८.४. ट्रस्ट के सदस्यगण हस्ताक्षरित, जाँच की हुई ट्रस्ट की पावती रसीद पर भारत के अर्न्तगत या बाहर कहीं भी अनुदान बसूली की यात्रा करेंगे वसूली के तीन माह के अन्दर मुख्यालय में वही राशि जमा करेंगे । अध्यक्ष से प्रमाणस्वरूप पावती रसीद ले लेंगे । ट्रस्टी लोगों की प्रक्रिया विश्व के किसी भी जगहों में होगी किन्तु मूल स्थाई, कार्यालय सुधाकर आश्रम पटवा में होगा ।

८.५. प्रधान सदस्य : अध्यक्षः समस्त आय एवं व्यय मुख्यालय के खाता-बही में दर्ज करेंगे और ट्रस्ट के किसी सदस्य की मांग पर उन्हें दिखलायेंगे । वसूली के लिए पावती का छपा हुआ प्रपत्र भी अध्यक्ष रखेगें जो रजिस्टर में दर्ज होगा ।

८.६. अगर ट्रस्टी लोगों में से कोई भी वसूली तिथि से तीन माह के अन्दर वसूल की गई राशि मुख्यालय को जमा नहीं दी गई तो अध्यक्ष को उनके विरूद्ध कानूनी कारवाई करने का अधिकार होगा जैसे :- उचित न्यायालय में ट्रस्ट की अपराधी शाखा, अपराधी गबन तथा दुरूपयोग का कानूनी कारवाई करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । जिसके लिये बाँका के

Scanned by CamScanner

जिला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से सम्पन्न होगा ।

८.७. ऐसे ट्रस्टी जिनके विरूद्ध कानूनी कार्रवई करनी होगी स्वतः ट्रस्ट की सदस्यता से वंचित होंगे और उनके स्थान पर अध्यक्ष दूसरे सदस्यों की सहमति से ट्रस्टी के रूप में अन्य व्यक्ति को नामित करेंगे ।

८.८. ट्रस्ट कर्मियों के वेतन, दैनिक पूजा आदि खर्च से राशि बचे तो गरीबों, दलितों एवं विकलांगों की सेवा में लगाया जायेगा ।

८.९. केवल ट्रस्टी लोग ही आय तथा ब्यय का लेखी खाता को देखेंगे और उसका देख-भाल करेंगे तथा इसके लिए कोई बाहरी व्यक्ति अधिकृत नहीं होंगे और अगर कोई व्यक्ति ट्रस्टी के अलावे, खाते तथा बही को देखने और देख-भाल करने का दावा करेंगे तो वह अवैध होगा और कानून संगत नहीं होगा ।

८.१०. ट्रस्टी लोगों के सहयोग से अगर कोई राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार, विदेशी अभिकरण, पूँजीपति और धन सम्पन्न व्यक्ति बिना किसी नियम और शर्त के ट्रस्ट को दान देगा, वे सब स्वीकार किये जायेंगे और मुख्य मंदिर में संगमरमर के टुकड़े पर उनके नाम परिसर के अर्न्तगत सुधाकर आश्रम पटवा में लिखे जायेंगे । यह अध्यक्ष के सहमति से ही होगा ।

८.११. ट्रस्टी लोगों से अगर कोई या ट्रस्टी के अलावे कोई एक भारी रकम या उपहार पिंड राशी, जो राशि आय कर से अवश्य ही मुक्त होगी या पूर्व ही आयकर भुगतान की गई होगी दान दे सकेगा ।

८.१२. क्योंकि ट्रस्ट की आय पाई-पाई वसुल होगा और अनुदान की भारी रकम पूर्व आयकर भुगतान की होगी । अतः ट्रस्ट की निधि किसी आयकर से मुक्त होगा और इसलिए ट्रस्ट की निधि से आयकर भुगतान योग्य नहीं

Scanned by CamScanner

होगा या उसके किसी हिस्से का आयकर भुगतान योग्य नहीं होगा ।

८.१३. ट्रस्ट सम्पत्ति, ट्रस्ट निधि और ट्रस्टी लोगों के मामले में या उसके लिए आय और व्यय के सम्बन्ध में अगर कोई झमेला हुआ तो अध्यक्ष एक तिहाई सदस्यों की सहमति से कानूनी सलाह तथा किसी वकील का योगदान ले सकेगा और जिसका शुल्क तथा पारिश्रमिक ट्रस्ट की निधि से भुगतान होगा ।

८.१४. अगर ट्रस्ट सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय में या तो बाँका न्यायालय में या किसी न्यायालय में किसी प्रकार का झमेला होगा तो उसके लिए खर्च ट्रस्ट की निधि से ली जायगी ।

८.१५. ट्रस्ट के मामले तथा उद्देश्य का विज्ञापन करना अध्यक्ष अगर उपयुक्त और उचित सझेंगे तो वे दैनिक समाचार पत्र, आकाशवाणी, दुरदर्शन, इन्टरनेट में दे सकते हैं और उनकी कीमत ट्रस्ट निधि से ली जा सकेगी ।

८.१६. निधि को संग्रह करने हातु अध्यक्ष या तो अपने या किसी अन्य ट्रस्टी से या किसी अभिकर्त्ता से किसी शाखा से या उपशाका से या तो भारत के अर्न्तगत या भारत के बाहर से, इसके लिए यात्रा भत्ता ट्रस्ट की निधि से लिया जायगा ।

८.१७. यदि कोई व्यक्ति किसी देवी या देवता की कोई मूर्ति अपनी लागत पर स्थापित करना चाहेगा या कोई अस्पताल, होटल, सुधारात्मक घर वे अपनी लागत पर खोलना चाहेगा तो यह ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जायगा जिसमें विचार की वरिष्टता अध्यक्ष में निहित होगी ।

८.१८. पटवा गाँव के निकट किसी बैंक में ट्रस्ट की एक बैंक खाता होगी । अध्यक्ष रू० ५०००/- (रूपये पाँच हजार) तक हाथ में रखने के लिए अधिकृत होंगे । बैंक खाता तीन ट्रस्टी में मात्र दो ट्रस्टी द्वारा खाता संचालित

Scanned by CamScanner

होगी और राशि निकाशी हेतु भी मात्र दो ट्रस्टी द्वारा खाता संचालित होगी अध्यक्ष का हस्ताक्षर अधिदेशात्मक/अनिवार्य होगा और बैंक खाता संचालन के लिए दो ट्रस्टी के नाम अध्यक्ष नामित करेंगे ।

९.०. <u>ट्रस्ट बैठक एवं कोरम :</u>

९.१. ट्रस्टी की बैठक में होने वाले समस्त कार्यवाही प्रश्न और विषय मतदान में बहुमत द्वारा निर्णय होगा और मतदान बराबरहो जाने के मामले में अध्यक्ष के पास यह सुरक्षित/निर्णायक होगा या बशर्ते कि मतदान डाला गया हो किन्तु दी गई किसी बातों का विरोध नहीं होगा । ट्रस्ट सम्पत्ति या संग्रह की व्यवस्था के साथ प्रश्न व्यवहार नहीं होगा और या ट्रस्ट संग्रह या सम्पत्ति के बारे में अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी ।

९.२. सभी ट्रस्टी के बीच लिखित रूप में प्रसारित संकल्प और ट्रस्टी के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प मान्य और लागू होगा, माना जाय ट्रस्टी की बैठक, विधिवत बुलाई और व्यक्त की गई बैठक में पारित की हुई हो ।

९.३. ट्रस्टी लोगों की बैठक की सूचना और समस्त पत्राचार ट्रस्टी को उनके पते पर भेजा जा सकता है या तो डाक द्वारा या किसी भी तरीके से समय-समय पर जैसा कि परिषद निर्णय लेगा, ट्रस्ट कार्यालय में उनका सबूत दर्ज रहेगा ।

९.४. ट्रस्ट की सभी बैठक ऐसे समय और स्थान में होगी जैसा कि समय-समय पर ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्णय लेंगे ।

९.५. वे ट्रस्टी जो ट्रस्टी लोगों की बैठक में उपस्थित होने से लाचार हैं वे अपने विचार लिखित रूप से कार्यक्रम पर भेज सकते हैं और वह विचार की अभिव्यक्ति संबंधी विषय-वस्तु पर उनके मत के रूप में लिये

Scanned by CamScanner

जायेंगे ।

९.६. ट्रस्टी लोगों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त एक पुस्तक/खाता में प्रविष्ट होगी जो प्रयोजनार्थ रखी जायगी और उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

९.७. अध्यक्ष/प्रमुख सदस्य नियम और कानून के अनुसार ट्रस्ट के सदस्यों को पन्द्रह दिन आगे/पूर्व बैठक की तिथि के लिए सूचित करेंगे और कार्यवाही दर्ज होगी ।

९.८. बैठक की गणपूर्ति के लिए सदस्यों का एक तिहाई हिस्सा आश्यक होगा और अगर अध्यक्ष अन्य सदस्यों को उपयुक्त तथा उचित सोचेंगे तो अन्य सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित करेंगे जिसके पूर्व अध्यक्ष आय और ब्यय तथा उनके द्वारा किये गये कार्य दिखायेंगे ।

९.९. प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट की अन्तिम बैठक फाल्गुन शुक्ल पक्ष के त्र्योदशी के दिन होगी क्योंकि इस ट्रस्ट की शुरूआत उसी दिन हुर्स है और इसलिए वह दिन वार्षिक दिन होगा जिसके लिए अध्यक्ष उसे अन्य सदस्यों को सूचित करेंगे ।

१०.० अध्यक्ष की पात्रता और उनका महाभियोग :

१०.१. सेट्लर नं० १ श्री चन्द्रशेखर मिश्र, मुख्य ट्रस्टी या अध्यक्ष होंगे और आजीवन रहेंगे । इनके मृत्युपरांत इनका सबसे बड़ा पुत्र अध्यक्ष होगा और उसके बाद उम्र के हिसाब से अन्य पुत्र अध्यक्ष होंगे । बाद में सबसे बड़ा पौत्र और इस क्रम से अध्यक्ष बनेंगे ।

१०.२. अगर प्रधान सदस्य : अध्यक्ष : दुरूपयोग गबन करता है या ट्रस्ट के किसी जायदाद या धन के साथ ट्रस्ट का अपराधी अतिक्रमण कर डालता है, अन्य ट्रस्टी उनके विरूद्ध कानूनी कारवाई करने हेतु अधिकृत होगा

Scanned by CamScanner

किन्तु उसके लिये उसका अधिकार क्षेत्र भी बाँका जिला न्यायालय में होगा ।

११.०. ट्रस्टी की पात्रता एवं उनका महाभियोग :

११.१. अगर कोई ट्रस्टी ट्रस्ट से स्वैच्छिक निवृत्ति चाहेंगे, तो उन्हें तीन माह पूर्व अपनी निवृत्ति की लिखित सूचना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पावती के साथ रजिस्ट्री द्वारा अध्यक्ष को देना होगा और अन्य ट्रस्टी लोगों की सहमति से अध्यक्ष इसके लिए निर्णय लेंगे बशर्ते कि अध्यक्ष के विचार को अहमियत दी गई हो ।

११.२. कोई व्यक्ति निम्न कारणों से ट्रस्टी नहीं हो सकेंगे ।

(१) एक अभारमुक्त दिवालिया ।
(२) चरित्रहीनता में संलग्न एक दुर्व्यवहार का दोषी करार ।
(३) अस्वस्थ दिमाग का ।
(४) एक नाबालिग ।

११.३. नये अतिरिक्त ट्रस्टी बहाल वर्तमान ट्रस्टीगण कर सकते हैं बशर्ते कि संख्या उपर वर्णित नियमानुसार हो ।

११.४. निम्नलिखित घटनाओं के बाद कोई ट्रस्टी नहीं रह पायेंगे ।

(अ) अगर वह मर जाता है ।
(ब) अगर वह दिवालिया हो जाता है ।
(स) अगर वह उन्मादी या मानसिक रूप से बिमार है या किसी प्रकार से कार्य करने में अक्षम है ।
(द) अगर वह अपने कार्यालय से स्वैच्छिक त्याग-पत्र देता है ।
(ई) अगर वह ट्रस्ट निधि और सम्पत्ति के मामले में किसी अपराध में संलग्न हो चुके हैं।

११.५. ट्रस्टी का परिषद ट्रस्ट के नाम में मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत होंगे और ठीक उसी प्रकार ट्रस्ट के नाम में मुकदमा चला सकते हैं ।

Scanned by CamScanner

११.६. नियुक्त हुए नवीन अतिरिक्त ट्रस्टी पर उनकी नियुक्ति स्वीकार करने की लिखित रूप में उनकी स्वीकृति पत्र निर्गत होगा । पुनः वो अन्य ट्रस्टी की तरह कार्य करेंगे ।

१२.०. **गायत्री समाष्टि :**

१२.१. मंदिर निर्माण के बाद, वहाँ मकान और रोड, पुस्तकालय और धार्मिक ग्रन्थ, योगशाला, धर्मशाला, धार्मिक पुस्तकों की दुकान, पूजा-पाठ के सामान की दुकान, वैवाहिक स्थल और इसके आवश्यक वस्तुओं की दुकान, हवन तथा हवन सामग्री की दुकान भी होंगे । खोले जायेंगे या ट्रस्ट द्वारा निर्मित किये जायेंगे और आढ़त के आधार पर धार्मिक पुस्तकें और पत्रिकाएँ बेचने के लिए ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित एवं व्यवस्थित होंगे ।

१२.२. मंदिर के निकट एक बारह फीट की बनी मुख्य सड़क होगी जो ट्रस्ट के द्वारा उसकी दोनों ओर रख-रखाव होगा । दुकानों का निर्माण होगा । दुकान भाड़े पर दिया जायगा और उससे प्राप्त आय भी ट्रस्ट की आय होगी । ट्रस्ट के सदस्यों के तीसरे हिस्से की सहमति से अध्यक्ष द्वारा भाड़े का अनुपति सुनिश्चत/तय होगा । सड़क मय दुकान की चौड़ाई ४० (चालीस) फीट होगी ।

१२.३. शक्ति पीठ से लगभग २०० फूट पूरब और पीच रोड (पक्की सड़क) से २४० फुट उत्तर में वहाँ १२ फुट चौड़ा सड़क निर्माण होगा । २२ फूट पूरब और २४ फूट पश्चिम २४० फूट उत्तर तक दुकानदारों के लिए रखा जायगा जो जमीन खरीदने उन्हें अपनी लागत पर अपने व्यापार हेतु ढाँचा तैयार करेंगे जिसमें वहाँ विभिन्न तरह की लगभग पच्चास दुकानें होंगी जिसका नाम या तो "गायत्री बाजार" या "गायत्री समष्टि" होगा । जमीन बेचने का अधिकार या भाड़े पर देने का अधिकार पूर्णतया अध्यक्ष में निहित होगा तो तिहाई सदस्यों क सहमति से निर्णय लिया जायगा । उपरोक्त बेचने के बाद केवल अध्यक्ष उसे कार्यान्वित करने अधिकृत होगा और बिक्री से भोगाधिकार तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति का भी भोगाधिकार होगा ।

१२.४. मंदिर एवं गायत्री समष्टि का मुख्य सड़क दस (१०) फूट चौड़ी सड़क से जुड़ा हुआ होगा । ताकि दर्शनार्थी को किसी प्रकार की बाधा, मंदिर में आगमन तथा निर्गमन में महसूस न हो ।

Scanned by CamScanner

१२.५. पूर्वगत स्तम्भ में बारह फूट चौड़ी सड़क रख-रखाव का प्रश्न है। धोरैया पुनिसया रोड से ठीक पच्चास फूट बाद ६६ फूट लम्बा तथा ४४ फूट चौड़ा नापी जमीन का टुकड़ा है जिसमें दो आम के पेड़ और एक बेल का पेड़ तथा एक दस फूट व्यास का कुआँ अवस्थित है। वर्तमान में उपरोक्त जमीन बेची नहीं जायगी किन्तु जब उपरोक्त पेड़ गिर जायेंगे या काटने के लिए उपयुक्त होगा उसके बाद जमीन बेची जायगी और बिक्री से प्राप्त सारी रकम ट्रस्ट की निधि में जमा होगी किन्तु उपरोक्त कुआँ आम जनता के उपयोग के लिए होगा।

१२.६. ट्रस्ट के बचाव के लिए मंदिर, ट्रस्ट की सम्पत्ति, दुकानदार की सुरक्षा के लिए बन्दुक, रायफल और रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति प्राप्त कराना आवश्यक हो सकता है। अत: अध्यक्ष या तो अपने नाम या अपने सचिव के नाम से उसके लिए आवेदन करेंगे और उनकी सेवानिवृत्ति या मरणोपरान्त उस समय विद्यमान अध्यक्ष एवं सचिव के नाम वह अनुज्ञापत्र बदलना है जो वर्णित हथियार भारत के समस्त भू-भाग में ढोने के लिए अधिकृत होगा।

१२.७. ट्रस्ट सुरक्षा के हित में अन्य कदम उठा सकते हैं जैसा उचित समझा जायगा।

उपरोक्त तथ्य सभी सेट्लर तथा ट्रस्टी को पढ़कर सुनाया गया। सबों को सारी बातें समझायी गई। एक दूसरे ने समझा और बिना किसी डर, भय के समझ बूझकर दस्तखत किया।

दिनांक २२.०१.२००२ को यह दस्तावेज लिखा गया, सुधार हुआ और एडवोकेट श्री शंकरानन्द झा बाँका की उपस्थिति में दर्ज हुआ।

सही-

शंकरानन्द झा

एडवोकेट

२२.०१.२००२

(मूल प्रति अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद)

Scanned by CamScanner

VED MATA GAYATRI BAIJANTRI SHAKTI PITH TRUST

SUDHAKAR ASHRAM, PATWA
P. O. : Shripathar, P. S. : Dhoraiya
Dist. : Banka (Bihar)

REGISTRATION DEED

Excerpts of Registered deed No. 7846, Banka Dated 22 02.2002

1.0 SETTLER

1.1. Shri Chandra Shekhar Mishra s/o. Late Sudhakar Mishra by faith Hindu freedom fighter P.P.O. No. 19916 Resident of Village Patwa P. O. Sripather, P. S. Dhoraiya, dist. Banka; Bihar.

1.2. Sri Ram Nandan Mishra s/o. Sri Chandra Shekhar Mishra by faith Hindu, by Occupation service as Chief Mining Engineer, Coal India Ltd. Posted at Mugma Area, ECL, P.O. Mugma, Dist. Dhanbad (Jharkhand) in the capacity of General Manager.

1.3. Sri Laxmikant Mishra s/o. Sri Chandra Shekhar Mishra by faith Hindu by Occupation service, residing at South Balihari, B.C.C.L., Dhanbad (Jharkhand)

1.4. Sri Bharat Mishra s/o. Sri Chandra Shekhar Mishra by faith Hindu Occupation service at prsent Teacher in Jalgora School of Learning, P. O. Jealgora, Dist. Dhanbad (Jharkhand) hereinafter be called "The Settlers" which expresion shall unless excluded by or repugnant to the subject or context, be demed to include their heirs, successors, executors, Administrators, Assignees and representatives of one part.

AND

2.0. TRUSTEE

2.1 Shri Chandra Shekhar Mishra s/o. Late Sudhakar Mishra by faith Hindu, freedom fighter P.P.O. No. 19916 Resident of Village Patwa P. O. Sripather, via - Punsia, P.S. Dhoraiya, Dist. Banka (Bihar)

2.2. Sri Ram Nandan Mishra s/o/. Sri Chandra Shekher Mishra by faith Hindu, by Occupation service as Chief Mining Engineer, Coal India Ltd. Posted at Mugma Area, ECL, P.O. Mugma, Dist. Dhanbad (Jharkhand) in the capacity of General Manager.

2.3. Sri Laxmikant Mishra s/o.Sri Chandra Shekhar Mishra by faith Hindu by Occupation service, residing at South Balihari, B.C.C.L., Dhanbad (Jharkhand)

2.4. Sri Bharat Mishra s/o. Sri Chandra Shekhar Mishra by faith Hindu Occupation service at present Teacher in Jealgora School

Scanned by CamScanner

Learning, P. O. Jealgora, Dist. Dhanbad (Jharkhand) hereinafter be called "The Settlers" which expresion shall unless excluded by or repugnant to the subject or context, be deemed to include their heirs, successor, executors, Administrators, Assignees and representatives of one part.

2.5. Smt. Shyama Devi w/o. Late Umakant Mishra by faith Hindu by occupation Hosewife resident of village Barhara, P. S. Belhar, Dist. Banka, Bihar presently staying at Lalkothi, Tatarpur, Bhagalpur.

2.6. Smt. Shakuntala Panjikar w/o. Sri Binay Panjikar by faith Hindu occupation Housewife resident of village Kaitha, P.S. Shambhuganj, Dist. Banka (Bihar)

2.7. Smt. Urmila Mishra d/o. Sri Mauji Lal Jha of village Mohanpur, P.O. Patauri (P. S.) Dist. Samstipur presently resident Girish Banerjee Road Mundichak, Bhagalpur.

2.8. Sri Sharangdhar Prasad s/o. LateSurya Mohan Prasad resident of village Bhagwanpur, P.S. Dhoraiya, Dist. Banka (Bihar)

2.9. Sri Shiv Narayan Jha s/o. Late Himanchal Jha by faith Hindu, Resident of village Mohana, P.S. Rajoun, Dist. Banka (Bihar)

Hereinafter all the aforesaid nine persons shall be called "The Trustees" which expression shall unless exclude by or repugnant to the subject or context be deemed to include trustees for the time of these present in office of the other part.

3.0. ENDOWMENT

3.1. The settlers named above are desirous of creating an endowment by setting a part and establishing a trust of Deity which shall be called **"VED MATA GAYATRI BAIJANTRI SHAKTI PITH TRUST"** Sudhakar Ashram at Patwa, P. O. Shripather via- Punsia, P. S. Dhoraiya, Distt. Banka, Bihar India for the public religious charitable objects and purpose in India as well as out of India throughout the world courtries hereinafter expressed.

3.2. The all Trustees have at the request of settler Truster No. 1 Sri Chandra Shekhar Mishra agreed to act as trustees of these present upon the terms and provisions hereinafter contained. The number of the trustee shall not in any way be less than nine and more than fifteen.

3.3. The Settler Trustee No. 1 Sri C. S. Mishra shall be the Chief Trustee or Chairman whatsover may be called since his life time and after his death, his eldest son and thereafter other son according to age and thereafter eldest grandson and likewise shall

Scanned by CamScanner

be the chief trustee or Chairman of the Trust.

4.0. INDENTURE

Now this indenture witneseth as follows

4.1. In order to effectuate the said object of creating and establ ishing a public religious and charitable trust, The Settlers aforesaid have delivered to and made over to trustees a sum of rupees 25000/- (Rupees Twenty Five thousand) initial capital amount only and following descripted immovable property of them to the trust these immovableproperty have been aquired by the joint family of the Settlers in the names of Settlers No. 2 & 3.

Mouza-Patwa **P.S. Dhoraiya** **Distt. Banka**

Khata	Khasra	Area (A.D.)	Boundary			
			N	S	E	W
15	41	38.00 LK Mishra (D) (self) (equivelent to 14 Katha)		Kamleswari Singh and Narain Singh	RN Mishra	Huro Baitha
and	42	(equivelent to 10 Katha) 27.25 Dsml. RN Mishra)		Road Dhoraiya	RN Mishra (self)	Shakti pith

With intend to part with all their ownership right, title interest and possession and claim therein and vest the same to the trustees in the name of the trust who shall have to hold the same and the investment or investments for the time being representing the same and all other properties may be for the time being represent the trust Estate together with all additions assertions there to and all accumulated income thereof and all other property or properies that may be aquired out of the same or otherwise may hereinafter be subject to the trust (hereinafter refer to as trust fund) for the charitable objects and purposes and uses. Herein after express with the power and on the terms and conditions herein contained of and concerning the same.

4.2 The name of the trust shall be "VED MATA GAYATRI BAIJNATRI SHAKTI PITH TRUST" and the Head office of the said trust shall permanantly be situated at Sudhakar Ashram Patwa, P.O. Shripathar Via - Punsia, P.S. Dhoraiya, Distt. Banka, Bihar,

Scanned by CamScanner

India.

4.3 All and any of these trustees may open the branch office of this trust at any place, town either within India or abroad in any town or place of the world countries.

4.4 It will be within the competency of these trustees while opening branch office of the trust to remove or shift or close the same subject to prior permission from the Head office or its Chairman.

4.5 The above named settlers/Trustees No. 1 to 4 without any threat, ceorcion fear from their free heart voluntarily and unanimously decided to donate the above mentioned immovable properties and initial capital amounting to rupees 25000/- (Rupees Twenty Five Thousand) and to install and establish the trust named above and so they made this deed as Regd. Endowment today in the name of above "Shakti Pith" and hereinafter all the trustees shall jointly be the owner, controller and manager of the trust and its present properties and future properties.

5.0 OBJECTIVE

The objects, terms and conditions of the trust shall

5.1 To construct Gayatri Mandir on the aforesaid described and donated land by the settlers and also to repair temples and other place of worship if thinks necessary and fund so permits.

5.2 There shall be a committee of above trustees/15 person as trustees of the trust and they all and any shall act to eastablish, promote, set up, run, maintain, assist, finance, support increase of fund and to add to or help in the setting of and/or maintaining and/or running schools, Anathalaya, Library, Hospital and other institutions or orphanages, widows houses, lunatic asylums, poor houses or other establishments for relief and/or help to the poor, old and inform people, flood affected persons, incabable ill persons, educate the illeterate persons, to consturct road, drainage etc. and / or this destitutes.

5.3 To give, provide and/or render food, medicine and other help and/or assistance in any shape or form to the poor deserving and needly persons.

5.4 To give, provide and/or render monitory aid/or other help assistance for the relief of needy persons and animals affected by

Scanned by CamScanner

natural calamities such as flood, fire famine, cyclone, earthquake, storm, accident, pestilience, draught, epidemic, unbearable cost of living and the like to give donations, subscriptions or contributions to institutions, establishments, centres or persons doing relif work on such occassions.

5.5 To establish, maintain or grant aid for the establishment or maintenance of wells, tubewells tanks, water reservoirs and trees and constructions of and repair to park, road bridges etc. for the use of the public to give provide, distribute dhotis, sarees, blankets, woolen clothings, quilt of cotton, woolen, silk or other varieties of clothes or other articles of necessities and facilities for the poor.

5.6. To plant tree or trees in any place to maintain the environment pollution free.

5.7. To open fund, establish, promote, set up, run maintain, assist, finance suport and/or help in the setting up and/or maintaining and/or running schools, colleges, lecturehall and other establishments or other institutions for advancement of education and of knowledge in arts, science, literature, humanities and/or other useful subjects, in all their manifestations.

5.8 To open fund, establish, promote, set up, run maintain, assist, finance suport and/or help in the setting up and/or maintaining and/or running hospitals, health, primary centres, boarding houses, hotels, libraries, reading rooms, gymnasiums and other training and vocational institutes.hospitals, health-primary centres, boarding houses, hotels, libraries, reading rooms, gymnasiums and other training and vocational institutes.

5.9 To promote, advance and encourage and/or aid in helping promoting, advancing and encouraging, primary, secondary and higher education including technical and medical education and also phusical training of Hindi class, Fine arts and other useful art, crafts among the public including the establishments and maintenance of Shilpa-Shikshalayas, Kala Kendra and other welfare centres for them.

5.10 To provide aid to laborious and inelligent students for their proper studies either within India or abroad in any world countries.

5.11 To foster and encourage education and training in handicrafts,

Scanned by CamScanner

fine arts, among women folks in general and establish and found institutions imparting such education to establish, maintain support or help by monetary gifts or otherwise centres, and institutions for women and children and to provide social welfare works for women & children.

5.12 To meet travelling, boarding and lodging expenses for students going abroad for higher commercial and Technical education and others.

5.13 To grant, pay or give scholarship, stipends, prize rewards, allowance and other financial assistance for help in case or kind to students with a view to help them in prosecuting their studies in school, colleges, educational institutions, technical institutions, Art schools, Institutions, teaching commercial and other Arts including teaching cultural arts or other training research or educational works in India or abroad.

5.14 To open fund, establish, promote, setup, run maintain, assist, finance support and/or help in the setting up and/or running hospitals, charitable dispensaries, maternity houses, child welfare centres, convalescent houses, sanatoriums, Hostels and other similar institutions or centres for rendering or providing medical relief and/or aid to the suffreing humanities or for research centres and institutions for promotions of research and education medical science including surgery.

5.15 To open fund, establish, promote, set up, run, maintain, assist, fianance support and/or aid or help in the setting up and/or maintaining and/or running by monetary gifts or otherwise centres, stadium, playground and parks for public use, sports and games and other social welfare works and/or activities in public interest in India and/or outside India.

5.16 To open fund, establish, promote, setup, run, maintain,assist, finance support and /or aid or help in the setting up and/or maintaining and/or runing institutions, centres , auditorium and the like for the running of welfare and other service to the public and to provide meeting room for socially useful activities and functions.

5.17 To open fund, establish, promite, setup, run maintain, assist, finance support and/or aid or help in the setting up establishment, maintainance, and/or running, Dharmsalas, wells, deep

Scanned by CamScanner

tubewells, tanks, roads and drainage etc.

5.18 To promte, organise, administer, establish, support maintain and/or grant aid to any person, institution or organisation whatsoever having for its objects of charitable purposes and to incur expenditure in connetion therewith.

5.19 To promote, assist and /or maintain all activities by whoever carried and/or where ever carried on in India or outside India in conformity with the objects of the trust and as are conducieve to wellbeing and general welfare of the nation or/are conductive for advancement of any object or objects of general public utility not involving/carrying on any activity for profit.

5.20 To transpirate trees, Gardens, Parks etc.

5.21 To publish and/or publishing books, magazines, pamphlets, periodicals and news papers in India or outside for the spreading and advancement of education and culture.

6.0 FUNCTIONS

6.1 Trustees shall preserve, generate and maintain adquate fund for construction and maintenance of Gayatri complex and fulfillig obectives of the trust to the best of their ability.

6.2 At first the trustees shall construct temple/pucca structure/building upon the land donated by the settlers and after its completion shall install statues of Sri Ganesh, Mother Gayatri, Lord Shiva goddess Durga and Bajrangbali.

6.3 After aforsaid installation of the God and Goddess the trustees shall arrange worshipper, flowerman and other persons for maintaining and cleaning the aforesaid place for worship who all shall daily do puja path, Bhoj-Naivedya etc. whose remuneration/honorarium/lodging shall be decided and be paid by trust. One of the trustees or person/persons on his behalf may also be authorised or voluntarily doing the above work.

6.4 If any one or more of the objects specified hereinafter of these presents have/had not to be objects of a public, charitable nature, the trustees shall not carry out such object or objects as if the same are not incorporated in these presence but the validity of the trust created by these presents as a trust for public chari

Scanned by CamScanner

table purpose shall not be affected in any manner.

6.5 The trustees shall from time to time after meeting, consider and look into the expenses of and incidental to the management of the trust properties and of the trust decide the particular object or objects for which the income or corpus of the trust fund or properties for the time being available shall be applied.

6.6 The trustees or his office or branch may accept any donation or contribution in cash or in kind from any person, firm, company, corporation, association, institution or trust (including the settlers and trustees of these presents) or any of them for the furtherance of the obejcts of the trust or any one or more of them upon such terms and conditions as they may in their absolute discretion think fit and which are not in consistent with the object of the trust. The trustees may also take over the management of any other charitable or public institutions on such terms as they think fit and may manage such intitutions.

6.7 Without effecting the generality of powers and functions of trustees to manage and administer the trust the board of trustees shall have following functions,

(i) To borrow if needed the security of the assests of the trust by way of bank draft, loan or otherwise as may be necessary for the benefit of the trust and for more effectively carrying of the object for the trust provided for ever the trustees unanimously agree on such borrowing and limited to the term of their decision or agreement and to otherwise two or more of the trustees in which their main trustee no. 1 shall must appoint one of them from the settlers to execute such documets, deeds, papers etc. as may be necessary in connection therewith.

(ii) To arrange for and/or authorise to signing or executing of any other papers or writing required to be signed or execute on behalf of the trustees by any two of the trustee to be nominated in this befalf from any settlers by the Chairman of the board of trustees and to make the same effective and binding as if the said agreement contract, instrument or document or paper or writing were signed by all the trustees.

(iii) To appoint or make provision for the appointment of a Sub-Committee of trustees and/or others to attend to or supervise or conduct specified job for functios or trust matters in such manner and subject to such rules and regulations as the trustees

Scanned by CamScanner

may time to time prescribe.

(iv) To authorise any one or more trustee to hold any property or any fund or any investment of the trust subject however to the terms of these presents in such manner and subject to such terms and conditions, rules and regulations as the board of trustees may from time to time think fit and proper and consistent with the object of trust.

(v) To spend any portion of the corpus or the income of the trust fund for purchasing any land/or constructing any building or buildings for and in the name of the trust for the purpose of carrying out promoting and or executing any or all of of the objects of the trust.

6.8 The trustees shall cause to an accurate accounts to be kept of all money received and spent and of all matters in respect thereof in ourse of management of trust property or in relation to the carrying out of the objects and purposes of the trust as well as of all the assets, credit and effects of the trust properties.

6.9 The trustees may invest the trust estate either in the purchase of the inmovable properties or of mortgage of immovable properties or in such manner as allowed by law as may be enforced from time to time and to convert, alter, vary dispose of or tranfer such investments shall not be made which are directly or indirectely for the benefit of any persons. referred to in sub-section (3) of section 13 of Income Tax Act. 1961 or any subsequent amendment as may be made from time to time.

7.0 RIGHTS & DUTIES OF TRUSTEES

7.1 None of these trustees shall accept for the trust any donation contributions, aid, help either in cash or in kind over which income-tax not paid. Meaning thereby the aforesaid aid, help and others etc. as said above shall must have been income tax free fund.

7.2 The trustees shall be at liberty to sell or lease out by two nominated trustees from among settlers only as said above, such portion or portions of the movable or inmovable property forming part of trust estate either by public auction or private contract as such price or prices and in such terms and condi

Scanned by CamScanner

tions relating to title or otherwise inall respects as they may in their absolute discretion think fit with the prior permission of the Chairman and to rescind or vary any contract for the sale thereof and to resale the same by aforesaid to nominated trustees without being answerable or any loss occasioned thereby and to execute all conveyance or other assurances and to pass valid and effectual receipts and discharges for money received by themselves.

7.3 The Trustees may manage or supervise the management of any land hereditaments and premises for the time being comprised in the trust estate or any part thereof with power to erect, put down, rebuild drains and make roads and fences, and otherwise to improve and develop and to cultivate or caused to be cultivated at any of the said lands, hereditaments and premises and to ensure houses and buildings against loss or damage by fire and/or other risks or let lease, make allowances to and arrangements with tenants, agriculturists and generally to deal with the said lands, hereditaments and premises as they may deem fit and their absolute discretions subject to prior permission from Chairman.

7.4 The trustees may appoint secretaries, manager, lawer solicitor, auditor, architects, engineers, surveyors, gomastas washerman or other employees for the purpose of management and supervision etc. of the trust estate for collection of rents, income and profits for keeping the accounts and records and for other purpose of the trust if fund permits ensuring that at no stage trust is indebted. For the appointment of aforesaid employee, the consent of all the trustees shall be taken but if there shall be any difference the opinion and direction of Chairman shall be final keeping in view fund position of the trust. Trust must not be indebted at any stage.

7.5 The trustees save and except the Head Office at Sudhakar Ashram Patwa as said above, may establish its branch office at such place or places and may change such place or places from time to time as they think fit and proper subject to prior permission of the Chairman.

7.6 The trustee shall have full power to compromise or compound all actions and other proceedings and settle differences and disputes relating trust estate and/or the trust property and to refer in such differences or disputes to arbitration and to adjust and settle all accounts relating to the trust estate and/or the trust property

Scanned by CamScanner

and to all other acts and things fully and effectually without being liable or answerable for any bonafids occassioned thereby subject here also the prior permission from the Chairman shall be must.

7.7 The trustees may from time to time frame schmes and rules and regulations to carry out the objects of the trust and managing the affairs of the trust and to vary the same from time to time as the trustees may in their discretion being fit and proper subject to prior permission frm the Chairman of Head Office.

7.8 The receipt granted by the trustees or any one or more of them for any money, stocks, fund shares, securities or investment paid, delivered or transferred to them in exercise of the trust or powers there of shall effectually release and discharge the person or persons paying, delivery or transferring the same therefrom and from seeing or from being bond to see the application thereof or being answerable for the loss or misapplication thereof.

7.9 The trustees shall be entitled at their discretion from time to time to start, discontinue, abolish and restart any charity or charitable institutions to impose condition or conditions to any subscriptions or donation made by them and re-mark any portion of the trust property for income or any particular objects subject to permission from Chairman.

7.10 The trustees may reimburse themselves and pay and dis charge out of the trust fund all expenses incurred by them in or about execution of the trust of any of their duties under these presents including travelling expenses but will not be entitled to any remuneration.

7.11 All the trustees unless they voluntarily resign or otherwise decide as per the terms, shall continue to be the trustees during the terms of their natural lives.

7.12 That after the execution and registration of this deed trust first the trust shall be registered in the Bihar religious trust board on aforesaid basis.

7.13 All the members of the trust (trustees) shall discharge their duties with intent to their free service attitude. But they shall

Scanned by CamScanner

not be acquired any title, right over any porperty or properties of the trust, this right shall always be vested in the Chairman or his heirs, sucessors and representatives. If in future the trustees shall not co-operate and the Chairman and the settlers be it not possible to continue the object or objects of the trust, in that event all the property or properties shall exist that, will be vested and reverted back to the sttlers or their heirs, successors and representatives and any claim by another trustees or anybody else and stranger shall be treated as illegal and unwarranted and this they shall not be entitled to sue the settlers or their heirs and successors in anyway.

7.14 After registration of this trust in Bihar Religious Board of trust, this trust will pay the membership fee regularly and shall get receipt therof.

7.15 The Chairman shall from time to time will consult and take help from 'VEDMATA GAYATRI SHAKTI PITH TRUST'. Shantikunj, Haridwar.

7.16 It shall be mandatory for the trust to be life long member of monthly magazine of "Yug Nirman Yojana" Mathura "Akhand Jyoti" Mathura, "Pragya" Pakshik, Shantikunj, Haridwar and all the sets of books written by respectable Gurudev Acharya Sree Ram Sharma shall be kept in the library of the trust.

7.17 The trustees may organise from time to time the camp of Netradan, Cataract operation for the needy people, Blood donation centre etc.

7.18 The trustees in the interest of the society and country to organise the camp for checking the population, to abolish the illiteracy & to maintain the purified atmospheric condition

7.19 The trust shall open and maintain the cooperative shops of different articles on the basis of no loss no profit in the interest of general public particularly for poors and downtrodden people.

7.20 The Board of trustee may by unanimous votes of all the trustees for the time being expel the trustees proposed to be removed or removed any trustee, permanent or otherwise from

Scanned by CamScanner

office after finding the trustee proposed to be removed quilty of serious misconduct in relation to or concerning the trust estate or trust affairs and after arriving at a definite conclusion that for the reason to be recorded in writing the continuance of the trustees proposed to be removed as trustee or these presents was desirable keeping to the objects of the trust in view and other related or connected matters provided however that non conclusion of such guilt shall be arrived at without giving to the trustee propose to be removed a full and fair opportunity of explaining his conduct and/or the charges levelled against him for his removal and the decision of the Board of the trustees in this behalf shall be final and binding and shall not be called in question either in any court of law where in any manner.

7.21 In every matters the superiority view opinion and decision shall be vested in the Chairman of the trust who shall act not abitarily or against the objectives and purpose of the trust.

8.0 FINANCIAL MANAGEMENT

8.1 The trustee shall keep an account or accounts with any bank or banks to operate such account or accounts whether in debit or credit and to give all appropriate instruction to the banker or bankers concerning the operation of such account or accounts and to authorise by approprite resolution to or more of the trustees jointly with an agenda appointed by the Chairman of the Board of trustees inthis behalf to operate such account or accounts.

8.2 The trustees may pay all charges and outstandings payable in respect of any immovable property for the time being forming part of the trust fund and may carry out, repair required to be done to the same and keep the same insured against loss or damage by fire and may incur all other costs, charges and expenses incidental to the administration and management of the trust estate and the property for the time being belonging to the trust as they may in their absolute descretion thinks fit subject to prior permission of the Chairman.

8.3 Save and except the initial capital Rs. 25000/- (Rs. Twenty five thousand) as stated above the trustees shall start to collect a donation and contribution at any place within India or abroad from the best of their level.

Scanned by CamScanner

8.4 The members of the trust shall travel any where within India or abroad to collect donation and contribution on the receipt of the trust duly signed, verified and maintained in the register of the trust shall deposit the same amount in the head office within three months of collection and shall take receipts in token thereof from the Chairman. The working of the trustees shall be in any where of the world but its original permanent office shall be at Sudhakar Ashram Patwa.

8.5 The head member (Chairman) Sri Chandra Shekhar Mishra shall maintain in the head office all the income and the expenditure in the register books and shall show them on demand to any member of the trust. The Chairman shall also maintain the printed forms of the receipts for collection by maintaining the name in registers.

8.6 If any of the trustees shall not deposit the collected amount within three months from the date of collection to the Head office, the Chairman shall have power to take legal action against them such as criminal breach of trust, criminal misappropriation and defalcation in the competent court of law for which only the jurisdiction shall be vested in the District courts of Banka.

8.7 The trustees against whom the legal action shall be taken shall automtically be debarred from the member of the trust and in his place the Chairman shall with consent of other members shall nominate other person as trustees.

8.8 After maintaining and expensing the salaries of the employees, the cost of daily puja, path Naivedya etc. if the fund of the trust allow the trustees according to ability shall expense in treatment of poors, downtrodden, handicapped, cloth gift to them and likewise for the services of them and also help the sufferers from natural calamity.

8.9 Only the trustees shall be entitled to see and look after the accounts register of income and expenditure and the stranger shall not be entitled for the same if any person other than the trustees shall or may claim to see and look after the records and books shall be illegal and no force in law.

8.10 If due to cooperation of the trustees any State Govt. Central

Scanned by CamScanner

Government, Foreigh Government, Foreign Agencies, Capitalists and man of money shall without any terms and conditions donate any sum to the trust those shall be accepted but only at the discretion of the Chairman the names of the donors shall be written in the piece of Marbel stone in the main temple and within its area at Sudhakar Ashram Patwa.

8.11 If any of the trustee or other than trustees shall donate a heavy amount or lump sum amount at gift, that amount shall must be free from Income Tax or pre-paid Income Tax.

8.12 Because the income of the trust shall be collected pai -to- pai and the heavy amount of donation shall be pre-paid Income Tax so the fund of the trust shall be free from any income tax and therefore no income tax shall be payable from the fund of the trust or any protion thereof.

8.13 If there shall be any dispute with regard to trust property trust fund and affairs of the trustees or income and expenditure of the same the Chairman with consent of 1/3rd members shall take legal opinion and aid of any lawyer whose fees and remuneration shall be paid from the fund of the trust.

8.14 If there shall be any dispute in court with regard to trust property either in Banka court and anywhere the cost for the same shall be born and met from the fund of the trust.

8.15 The Chairman shall if think fit and proper to advertise the affairs and object of the trust, he may give them into daily newspaper, Akashvani, TV, Internet and the cost of them shall be met from the fund of the trust.

8.16 The Chairman for collection of the fund either by himself or by any other trustees or byany agent from any branch or sub branches either within India or from outside India, the travelling allowance for the same shall be met from the fund of the trust.

8.17 If any person shall want install any statue of any God or Goddes on his own cost or to open any hospital, hotel, reformative houses on their own cost that shall be decided by members of the trust in which superiority of the opinion shall be vested with the Chairman.

Scanned by CamScanner

8.18 There shall be a Bank account of the trust in any Bank near village Patwa. The Chairman shall be entitled to keep cash in hand upto Rs. 5000/- (Five thousand) and the Bank account shall be in the names of trust and the acount shall be operated by two trustees only out of there nominated trustees and for withdrawal of the amount, the signature of the Chairman shall be mandatory and the Chairman shall nominate the names of two trustees to operate the bank accounts.

8.19 If the fund of the trust shall permit the trustees may send portion of its income to the Shantikunj Haridwar according to its direction but that shall depend upon the choice of the trustees.

8.20 If the income from the trust properties in a particular year is not fully utilised, the unexpended income shall be carried over to the next year or years and spend in such subsequent year or years for the advancements of any of the objects of the trust.

8.21 For the purpose of the audit, financial year will be from 1st April to 31st March.

9.0 TRUST MEETING AND QUORUM

9.1 All proceedings and questions and matter arising at the meeting of the trustees shall be decided by a majority of votes and in case of equality of votes the Chairman shall have a secured deciding or casting vote provided however that not withstanding any thing hereinstated no question dealing with the disposal of the corpus of any of the trust properties and/or investment out of the trust corpus shall be decided without the consent of the Chairman of the trust.

9.2 The resolution in writing circulated amongst all the trustees and signed by a majority of the trustees shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the trustees duly called and conveyed.

9.3 Notice of the meeting of the trustees and all communications may be sent to the trustees at their address either through post office or through any manner as the Board shall

Scanned by CamScanner

decide time to time by keeping record of the proof in the trust office.

9.4 All meeting of the trust shall be held at such place and at such time as the Chairman of the trust shall decide from time to time.

9.5 A trustee who is unable to be present at a meeting of the trustee may send his views on the agenda in writing and such expression of the opinion shall be taken to his vote on the matter concerned.

10.0 ELIGIBILITY AND IMPEACHMENT OF CHAIRMAN

10.1 The settlers / Trustee No. 1 Sri C. S. Mishra shall be the Chief Trustee or Chairman whatsoever may be called since his life time and after his death, his eldest son and thereafter other son accordingly to age and thereafter eldest grandson and likewise shall be the Chief trustee or Chairman of the Trust.

10.2 If the head member (Chairman) misappropriates, defalcates or commit criminal breach of trust with regard to any property or properties of trust, the other trustees shall be entitled to take legal action against him but the jurisdiction for the same also be on Banka district courts.

11.0 ELIGIBILITY AND IMPEACHMENT OF TRUSTEE.

11.1 If any of the trustees shall want voluntarilly retirement from the trust he shall have to give written information prior to three months of his retirement through Post Office under registered post with A/D to the Chairman and the Chairman with the consent of other trustees shall decide the matter subject to priority of opinion of Chairman.

11.2 No person being.

(i) An undischarge insolvent.

(ii) Convicted of an offence involving moral turpitude.

(iii) of unsound mind

(iv) A minor shall be eligible to be a trustee.

Scanned by CamScanner

11.3 The power to appoint newer additional trustees, but so as not to exceed the maximum number and to fill vacancies in the office of the trustees, shall vest in the continuing trustee or trustees.

11.4 A person shall cease to be a trustee in any of the following events-.

(a) If he dies.

(b) If he becomes bankrupt.

(c) If he becomes insane or otherwise incapable to act.

(d) If he resigns his office voluntarily.

(e) If he has been involved in any criminal case with regard to trust fund and properties.

11.5 The Board of the trustees shall be entitled to sue in the name of the trust and may similarly be sued in the name of the trust.

11.6 On a new additional trustee being appointed and on his signifying his acceptance in writing to the effect to his accepting the appointment, he shall act like other trustee automatically for the time being and he will be entitled to carry out all the duties and functions of a trustee without any deed or writing.

12.0 GAYATRI COMPLEX

12.1 After erection of temple there shall also be building and roads library of relígious books Yagyashala, Dharamshala, shops of religious books, articles of Puja path shops, marriage place and its needful article shops, shops of hawan and Garnetes shall be opened or erected by the trust and the trust shall appoint a commission agent to sale religious books, magazines on commission basis who shall be controlled and managed by the trust.

12.2 There shall be main road consisting of forty feet breadth

Scanned by CamScanner

space near the temple be maintained by the trust. The shops shall be erected by both sides of the same leaving twelve feet breadth road in the middle. The shops shall be alloted on rent and the income therefrom shall also be the income of the trust. The rate of the rent shall be fixed by the Chairman with the consent of the 1/3rd member of the trust.

12.3 There shall be twelve feet breadth road be erected in the 240 feet north from pitch road and about 200 feet east from Shaktipith. The road 22 feet east and 24 feet west upto 240 feet north shall be kept for the shopkeepers who shall pur chase the land and erect the structure of shops for their businces on businces on their own cost in which there shall be aboutsixty shops ofdifferent kinds whose name shall be either "Gayatri Market" or "Gayatri Complex". The right to sale land or allotment on rent shall absolutely be vested in the Chairman who shall decide the same with the consent of 1/3rd members. After sale aforesaid, only the Chairman shall be entitled to execute the same and the usufract or the gain from the sales shall also be the property of the trust.

12.4 The mainroad of the temple and Gayatri complex shall be connected by 10 feet breadth road so that the visitors shall not be felt any obstruction for access and egress.

12.5 In the preceeding column there has been a question of twelve feet breadth road mentioned. There has been a piece of land measuring sixty feet length and 44 feet breadth just after 50 feet north from Dhoraiya Punsiya Road in which two Mango Trees and one Bel tree and one 10 feet diameter well are situated. The aforesaid land at present shall not be sold but when the aforesaid tree shall fell down or shall be fit for cutting thereafter the land be sold and the entire amount from sale be deposited in the fund of the trust but the well aforesaid shall be in the use of general public.

12.6 For the protection of the trust, temple statues, properties of the trust, shopkeepers, there may be necessity to obtain licences for Gun, Rifle and Revolver. Therefore, the Chairman either in his own name or in the name of his secretary shall apply for the same and after their retirement or death, the same licence be renewed in the names of then existing

Scanned by CamScanner

Chairman or Secretaries who shall be entitled to carry on the said fire arm within all terrotories of India.

12.7 The trust may take other steps in the interest of securities as deem fit.

In witness where of the settlers and the trustees have read over the entire facts, terms, conditions and others understood the same and in presene of each other voluntarily accepted them and without any fear and coercin signed it in presece of the following witnesses on the 22 Day of Jaunary Month and Year 2002 above mentiond.

Drafted and after typing corrected by Sri Shankara Nand Jha, advocate, Banka

Signature of the Settlers/Trustees

Sd/-

1. Chandra Shekhar Mishra
2. Ram Nandan Mishra
3. Laxmi Kant Mishra
4. Bharat Mishra

Advocate.

Sd/-

Shankra Nand Jha

Signature of Members of Trust

1.Chandra Shekhar Mishra
2. Ram Nandan Mishra
3. Laxmi Kant Mishra
4. Bharat Mishra
5.Shyama Devi
6.Shakuntala Panjikar
7. Urmila Mishra
8. Sarangdhar Prasad
9. Shiv Narain Jha

Dated : 22.1.2002

Identifier : Mrityunjai Panjikar, Kaitha

Witness : Rajendra Prasad Singh
Chandra Shekhar Das
Parmanand Jha
} Banka

Scanned by CamScanner

इन्दिराजी, आजादजी के साथ संस्थापक, ८.५.७८ नई दिल्ली

Scanned by CamScanner

DESIGN & PRINTED BY : MODERN PRESS, CHIRKUNDA, PH. : 292030

Scanned by CamScanner